लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

JMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 31 से 40 तक हैं]
[Vol. LIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 33—सोमवार, 4 अप्रैल, 1966/14 चैत्र, 1888 (शक)

No. 33—Monday, April 4, 1966/Chaitra 14, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
921	लड़ाकू विमानों का राजस्थान स्क्वाड्रन — Rajasthan Squadron of Fighter Planes	6013–15
922	नजरबन्द न किये गये लोगों का पाकिस्तान से प्रव्रजन — Migration of non-internees from Pakistan	6015–17
923	छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड — Wage Board for Contonment Board Employees	6017–20
925	पाकिस्तान घुसपैठियों का वापिस बुलाया जाना — Recall of Pak. infiltrators	6020–24
926	आकाशवाणी की भाषा नीति — Language Policy of A.I.R.	6024–27
927	हिन्दी का प्रयोग — Use of Hindi	6027–29

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
924	काश्मीर के सम्बन्ध में लार्ड एटली का वक्तव्य — Lord Attlee's Statement Regarding Kashmir	6029
929	खाद्यान्नों की बचत सम्बन्धी प्रचार योजना — Publicity Scheme for Savings in Food grain	6029–30
930	अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण — Compulsory Military Training	6030
931	पाकिस्तान द्वारा हावड़ा नदी की धारा का मोड दिया जाना — Diversion of River Howrah by Pakistan	6030
932	सर्वोच्च स्तर पर समन्वय — Co-ordination at Highest Level	6030–31
933	जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य — German Democratic Republic	6031
934	मलयेशिया से प्रतिरक्षा दल — Defence Team from Malaysia	6031
935	इण्डोनेशिया में भारतीय लोग — Indians in Indonesia	6032
936	नये हथियार तथा सैनिक सामान — New Weapons and military equipment	6032
937	कानपुर में मिश्रधातु इस्पात का कारखाना — Alloy Steel Plant at Kanpur	6032
938	स्वदेश लौटने की प्रतीक्षा में कोलम्बो में रुके हुए भारतीय राष्ट्रजन — Indians awaiting deportation at Colombo	6033

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—49 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
939	मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में श्री बिजू पटनायक की उपस्थिति	Presence of Shri Biju Patnaik in Chief Ministers' Conference	6033
940	चीन और पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय राज्य-क्षेत्र	Indian territory under occupation of Pakistan and China . .	6034
941	नौसेना के कुछ कर्मचारियों द्वारा नागरिकों की मारपीट	Assault on Civilians by some Naval Personnel . . .	6034
942	सैनिक अस्पताल	Military Hospitals . . .	6034–35
943	शिष्टमंडलों के लिये सदस्यों का चुनाव	Selection of Members for Delegations	6035
944	चीन द्वारा सड़कों का निर्माण	Construction of Roads by China	6035
945	केन्द्रीय आयुध डिपों, जबलपुर के कर्मचारी	Workers of C.O.D., Jabalpur .	6035–36
946	परमाणु अस्त्रों के प्रसार सम्बन्धी संधि	Treaty on spread of nuclear Arms	6036
947	भारत के रूस समर्थक साम्यवादी नेताओं की रुस यात्रा	Visit of Pro-Russian Communist Leaders of India to U.S.S.R .	6036–37
948	सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी	Released Emergency Commissioned Officer	6037
949	नागालैंड में शांति मिशन	Peace Mission in Nagaland .	6037–38
950	सोशालिस्ट इंटरनेशनल द्वारा भारत की आलोचना	Criticism of India by Sociaistl International	6038

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
3176	केरल के स्कूलों में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन का एकत्रित किया जाना	Collection of National Defence Fund in schools in Kerala .	6038–39
3177	अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह	International Film Festival .	6039
3178	सेना की जीपें	Military Jeeps . . .	6039
3179	बोमडिला-तेजपुर सड़क	Bomdilla-Tezpur Road . .	6039
3181	आकाशवाणी इंजीनियर	A.I.R. Engineers . . .	6040
3182	आकाशवाणी में तकनीकी पद	Technical Posts in A.I.R. . .	6040
3183	दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Second Pay Commission . . .	6040–41
3184	एच० एफ० 24 जेट विमानों का उत्पादन	Production of H.F. 24 Jets .	6041
3185	परीक्षण रोक संधि का उल्लंघन	Violation of Test Ban Treaty .	6041–42
3186	आदिम जाति क्षेत्रों के लिए प्रसारण केन्द्र	Transmitting Stations for Tribal Areas	6042
3188	प्रतिरक्षा संस्थाओं में केंटीन कर्मचारी	Canteen Employees in Defence Establishments . . .	6042

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3189	हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर प्रतिकर भत्ता	House Rent and City Compensatory Allowance to H. A. L. Employees	6042–43
3190	दाहांग्राम में हिन्दुओं पर आक्रमण	Attack on Hindus in Dahagram	6043
3191	पंजाब में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेट	N.C.C. Cadets in Punjab . .	6043–44
3192	सैनिकों के लिये आवास की व्यवस्था	Residential Accommodation for Army Personnel . . .	6044
3193	रांची और दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Stations at Ranchi and Darbhanga	6045
3194	फिल्म वित्त निगम द्वारा ऋण	Loans by Film Finance Corporation	6045
3195	बर्मा द्वारा भारतीय दैनिक समाचार पत्रों पर लागाया गया प्रतिबन्ध	Ban of Indian Dailies by Burma	6045–46
3196	दूसरा अणु शक्ति केन्द्र, राजस्थान	Second Atomic Power Station, Rajasthan	6046
3197	सैनिकों के लिये नये मैडल	New Medals for Army Personnel	6046
3198	बम्बई स्थित अणु शक्ति आयोग के कार्यालय में आग लगना	Fire in Office of Atomic Energy Commission, Bombay . .	6046–47
3199	भारत और जापान के बीच विचार-विमर्श के लिये बैठक	Consultative Meeting between India and Japan . . .	6047
3200	प्रागा टूल्स लिमिटेड	Praga Tools Limited . . .	6047
3201	प्रतिरक्षा सेनाओं के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfers of Defence Service Officers	6048
3202	टेलीविजन सेटों का निर्माण	Production of Television Sets .	6048
3203	समुद्री डीजल इंजन उद्योग	Marine Diesel Engine Industry	6048–49
3204	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes of A.I.R. . . .	6049
3205	पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित व्यक्ति	Displaced persons from East Pakistan	6049–50
3206	नेपाल, भूटान, सिक्किम में जाने के लिये पासपोर्ट	Passports for Nepal, Bhutan and Sikkim	6050
3207	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को अघातक (नान-लीथल) सैनिक सामान की सप्लाई	Non-lethal Military Supplies to Pakistan by U.S.A. . .	6050
3208	पाकिस्तान में चीनी प्रक्षेपणास्त्र मिसाइल अड्डे	Chinese Missile Bases in Pakistan	6050
3209	राष्ट्रीय छात्रसेना दल के कैडेटों द्वारा सैनिक अभिवादन (गार्ड आफ आनर)	Guards of Honour by N. C. C. Cadets	6051
3210	चमरावल गांव में भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land in Chamraval Village	6051–52
3211	ताशकन्द समझोता	Tashkent Agreement . . .	6052
3213	पत्रकारों की सुरक्षा	Journalists . . .	6053

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कुछ निरूद्ध सदस्यों का स्वास्थ्य	6053–54
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	6054–56
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	6056
विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनों के बारे में वक्तव्य—	
श्री मु० क० चागला	6056–58
समितियों के लिये चुनाव—	
1. राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति	6058–59
2. न्यायाधीश (जांच) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति	6059
3. दिल्ली प्रशासन विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति	6059
4. पेटेंटस (एकस्व) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति	6059–60
5. लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	6060
दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक—	
प्रसार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय का बढाया जाना	6060–61
अनुदानों की मांगे—	
विधि मंत्रालय—	
श्री गोपाल स्वरुप पाठक	6061–63
संसद कार्य विभाग—	
श्री कपूर सिंह	6063–64
श्री राम सहाय पाण्डेय	6064–65
श्री दाजी	6065–66
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	6066–67
श्री अ० व० राघवन	6067
श्री हरि विष्णु कामत	6067–68
श्री च० कां० भट्टाचार्य	6068
श्री ओंकार लाल बेरवा	6068–69
श्री बागड़ी	6069
श्री यशपाल सिंह	6069–70
श्री सत्यनारायण सिंह	6070–72

SUBJECT	PAGES
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Health of Certain Members in Detention	6053–54
Re: Question of Privilege	6054–56
Papers Laid on the Table	6056
Statement re: Salaries of University Teachers—	
Shri M. C. Chagla	6056–58
Elections to Committees—	
(i) Central Advisory Committee for the National Cadet Corps	6058–59
(ii) Joint Committee on the Judges (Inquiry) Bill	6059
(iii) Joint Committee on Delhi Administration Bill	6059
(iv) Joint Committee on Patents Bill; and	6059–60
(v) Joint Committee on Offices of Profit	6060
Delhi High Court Bill—	
Extension of time for presentation of Report of Select Committee—	
Demands for Grants—	6060–61
Ministry of Law—	
Shri G. S. Pathak	6061–63
Department of Parliamentary Affairs—	
Shri Kapur Singh	6063–64
Shri R. S. Pandey	6064–65
Shri Daji	6065–66
Shrimati Tarkeshwari Sinha	6066–67
Shri A. V. Raghavan	6067
Shri Hari Vishnu Kamath	6067–68
Shri C. K. Bhattacharyya	6068
Shri Onkar Lal Berwa	6068–69
Shri Bagri	6069
Shri Yashpal Singh	6069–70
Shri Satya Narayan Sinha	6070–72

विषय	Subject	Pages
परिवहन और उड्डयन मंत्रालय—	Ministry of Transport and Aviation—	
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy . .	6073
श्री मी० रू० मसानी	Shri M. R. Masani . .	6074–75
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah . .	6075–76
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai . . .	6077–78
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva . .	6078–80
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	6080–81

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 4 अप्रैल, 1966/14 चैत्र, 1888 (शक)

Monday, April 4, 1966/Chaitra 14, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लड़ाकू विमानों का राजस्थान स्क्वाड्रन

*921. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़ाकू विमानों का राजस्थान स्क्वाड्रन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कब तक प्रबन्ध पूरा हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या प्रतिरक्षा महोदय को याद है कि जब जोधपुर में उनका भव्य स्वागत किया गया था, उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि हवाई हमलों से नगर की रक्षा की उचित व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें क्या यह भी याद है कि प्रधान मंत्री जीने आश्वासन दिया था कि राजस्थान स्क्वाड्रन बनाने के प्रस्ताव को शीघ्र कार्यरूप दिया जायेगा और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मेरे द्वारा दिये गये आश्वासन को सरकार अवश्य पूरा करेगी । सरकार ने पहले से ही इस सम्बन्ध में निश्चय किया है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इसे पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं अपने वचन पर कायम हूं । प्रश्न यह है कि राजस्थान के मुख्य-मंत्री द्वारा दिये जाने वाले कुछ विमानों का नाम क्या रखा जाये । जब यह प्रश्न सामने आया कि क्या इसका नाम राजस्थान स्क्वाड्रन रखा जाये तो मैंने मना कर दिया था । यदि जब कुछ विमानों का दान दिया जाये तो उसके आधार पर नाम रखने के प्रश्न पर निस्संदेह विचार किया जा सकता है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मुख्य मंत्री द्वारा दिये जाने वाले विमानों का नाम रखने को मैं अधिक महत्व नहीं देता हूं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की हवाई हमलों से रक्षा की उचित व्यवस्था की जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जोधपुर पर भारी बमवर्षा—भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जोधपुर पर 207 बम गिराये गये—की गई थी, जेसलमेर, बाढ़मेर तथा जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों की हवाई हमलों से रक्षा के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पूरी जानकारी देना मेरे लिये संभव नहीं है। किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि गत संघर्ष के दौरान हमें राजस्थान की हवाई हमलों से रक्षा व्यवस्था की कमी से सबक मिला है और हम इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government contemplate to change the name of the State Rajasthan to Rajputana in view of frequent strikes, *Bands* etc., in that State ?

श्री कपूर सिंह : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है।

Shri Onkar Lal Berwa : According to the press reports the Pakistani Army is concentrating on the Rajasthan border. Has the Government installed any radar etc., for defence ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने दो बातें पूछी है। राजस्थान सीमा पर सेना के जमाव के बारे में मेरा उत्तर नहीं 'नहीं' में है। हवाई हमलों से रक्षा के बारे में मैं उत्तर दे चुका हूं।

Shri Bagri : We could not defend Jodhpur during air bombing on it. Has the Government appointed any Committee to go into its causes, and if so, what Steps are being taken in the matter ?

Shri Y. B. Chavan : The inquiry was conducted by the officers of our headquarter not by the committee.

श्री शिकरे : क्या मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हाल के संघर्ष के दौरान राजस्थान मे हुए दुखद अनुभव पर प्रस्तावित पंचवर्षीय प्रतिरक्षा योजना पर उचित ध्यान दिया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: क्या पिछले संघर्ष से सरकार ने कोई सबक सीखा और यदि हां, तो क्या सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने सबक अवश्य सीखा है। हमने कई निर्णय किये है और उन्हीं के अनुसार कुछ कार्यवाही की गई है और कुछ की जा रही है। कुछ निर्णयों को क्रियान्वित करने में लम्बा समय भी लगता है। अत: मैं यही कह सकता हूं कि उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री० दी० चं० शर्मा : राजस्थान में जो सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किये जा रहे है, क्या उसी प्रकार के उपाय पंजाब में भी किये जा रही हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पिछले संघर्ष के दौरान पंजाब में सभी आवश्यक कार्यवाही की गई है। पंजाब में हवाई हमलों से सुरक्षा की समुचित व्यवस्था थी। इसके बावजूद भी पंजाब में कुछ घटनाएं हुई। मैं समझता हूं कि ऐसे संघर्ष में कुछ घटनाएं अवश्य होती है। हमें राजस्थान

के प्रश्न पर पंजाब से भिन्न प्रश्न समझ कर विचार करना होगा। राजस्थान की हवाई हमलों से सुरक्षा की व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई और मैं उसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री पें० वेंकटसुब्बया : क्या प्रश्न को पथकरूप से हल करने के स्थान पर कुछ सामरिक महत्व के स्थानों में हवाई हमलों से सुरक्षा की व्यवस्था करने का सरकार का कोई व्यापक प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निस्संदेह इस सम्बन्ध में हमारी एक व्यापक योजना है किन्तु विशेष संघर्ष को देखते हुए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ती है। सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के कारण ही ऐसा किया गया है।

नजरबन्द न किये गये लोगों का पाकिस्तान से प्रव्रजन

+

*922. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हेम बरुआ :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 दिसम्बर, 1965 से 4 जनवरी, 1966 तक की अवधी में पाकिस्तान से सीमा पार करके भारत आने वाले उन व्यक्तियों के बारे में कोई आंकड़े रखे है जो पाकिस्तान द्वारा नजरबन्द नहीं किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इन लोगों को चिविरों में रखा गया है अथवा उन्हें अन्य स्थानो में बसाया गया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के लोगों की संख्या 3505 है।

(ग) ये सब लोग भारतीय राष्ट्रिक अथवा उनके आश्रित थे और उन्हें शिविरों में रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सीमा चौकियों से होकर नहीं जाने वाले व्यक्तियों का कोई पृथक अभिलेख है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो व्यक्ति सीमाचौकियों से नहीं गये है, उनके बारे मे मुझे जानकारी नही है। सही स्थिति यह है कि 26 दिसम्बर, 1965 से 7 जनवरी, 1966 तक की अवधि में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बारापोल-पेट्रोपोल क्षेत्र दोनों देशों के नजरबन्द नहीं किये गये लोगों के अपने देश को वापिस लौटने के लिये खोला गया था। और इस अवधि में देश लौटनेवालें सभी भारतीय नागरिक अथवा उनके आश्रित थे।

श्री स० चं० सामन्त : क्या 4 जनवरी, 1966 के बाद भी लोगों का कोई आदान प्रदान हुआ था ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे पास यह सूचना 26 दिसम्बर 1965 और 6 जनवरी, 1966 तक की अवधि की है। यदि माननीय सदस्य फरवरी के लिये अलग प्रश्न पूछे तो मै उसका उत्तर दूंगा।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether any inquiry has been made into the fact that the repartriate were relieved of their belongings. If so, how much loss was suffereed by them and will they be given compensation for it ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन में से अधिकांश लोग अपने परिवारों के साथ थे और उनके पास भारत-पाकिस्तान पासपोर्ट था। कुछ लोगों ने परमिट लेकर सीमा पार की। ये लोग अलग ही श्रेणी के थे। ये वे लोग नहीं थे जो माननीय सदस्य समझे है।

Shri M. L. Dwivedi : Is Government aware that the non-internees, who came to India, were relieved of their personal property and if so what is the details of loss suffered by them ?

Shri Swaran Singh : Probably the hon. Member has other type of people in mind, these were Indian Nationals.

Shri M. L. Dwivedi : Were they relieved of their personal property ? I am not referring to immoveable property.

Shri Swaran Singh : There were Indian Nationals.

Shri Yashpal Singh : How long will this state of affiairs continue that as Pakistan turns out people and we go on rehabilitating them. Is Government taking any steps to make Pakistan stop ousting people take this and to compel her to treat them well in future ?

Mr. Speaker : This is an elaborate matter, Thakur Saheb.

Shri Swaran Singh : Otherwise also, they are Indian citizens who had gone there on passport and have now returned. The question of ousting them does not arise.

Shri Bagri : 3,500 people are such who had come over to India and these people who have now arrived are those who had gone to Pakistan on the basis of passport or permit. Will the honourable Minister be pleased to state the total number of persons who went to Pakistan on the basis of passport or permit and the total number of persons out of them who came back ? Were the rest of the persons killed or arrested ? Is Government also aware of the circumstances in which these people went to Pakistan ? If so, the details there of may be given.

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे पास इस सम्बन्ध में इस समय ब्यौरा नहीं है।

Shri Bagri : I want to know the total number of persons who went to Pakistan with permit or passport.

श्री स्वर्ण सिंह : इसके उत्तर के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री कपूर सिंह : क्या इस बात के प्रमाण मिले है कि नज़रबन्द व्यक्तियों के अलावा भारत आनेवाले लोगों में किसी विदेशी राष्ट्र ने अवांछनीव तत्वों का भी समावेश कर दिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मै नहीं समझता कि कोई विदेशी राष्ट्र ऐसे लोगों का समावेश कर सकता है है; क्योंकि इन सब लोगों के पास भारतीय पास-पोर्ट है और भारतीय अधिकारियों ने उनको परमिट दिये है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्री निगम ।

श्री कपुर सिंह : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । उसको ठीक से समझा भी नहीं गया है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने अनुमान से ही ऐसा कहा है कि अवांछनीय तत्वोंका समावेश नहीं किया गया है अथवा उन्होंने इस मामले की जांच भी की है ? क्या इस विषय पर कोई प्रमाण उपलब्ध है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो लोग वापस आये है उनमें किन्हीं विदेशी एजेन्टों का समावेश नहीं किया गया है ।

श्री कपूर सिंह : क्या किसी विदेशी राष्ट्र ने कोई अवांछनीय तत्व का समावेश किया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहा तक सत्य है कि जो लोग भारत आये हैं उन में से कुछ लोग बड़ी बड़ी जायदादें तथा व्यापार पीछे छोड़ कर आये हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह एक भिन्न मामला है । वे लोग अस्थायी रूप से और परमिट लेकर गये थे ।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं इन्ही नज़रबन्द लोगों के बारे में पूछ रही हूं । जब वे पाकिस्तान में थे तो उनका वहां व्यापार था और उनके दूसरे हित भी थे । यह सब समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था कि उनकी जायदाद को संकट काल के दौरान ज़ब्त कर लिया गया था । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितना रुपया तथा कितने मूल्य की जायदाद पाकिस्तान ने ज़ब्त कर ली है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न इन लोगों से सम्बन्धित नहीं है परन्तु इस मामले के बारे में मैंने वक्तव्य दिया है कि पाकिस्तान ने शत्रु सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की थी और भारतीय राष्ट्रकों तथा गठित निकायों की चल तथा अचल सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले लिया था और प्रतिबंध अभी तक जारी है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is the number of persons who came over to India from Pakistan during the period these 3,500 persons had gone there on the basis of permit or licence ? How many of those who came to India were interned and how many permitted to go back to Pakistan ?

Shri Swaran Singh : There are dates for this and the permits were for particular dates. I could give full details if the honourable member gives notice.

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

+

*923. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघान ने अपने सातवें वार्षिक सम्मेलन में छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी मांग की है कि उनके वेतन में तत्काल 25 प्रतिशत तदर्थ वृद्धि की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन मांगों के बारे में क्या निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मामले सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : उनके वेतन तथा भत्ते और पेंशन लाभों पर पिछली बार कब विचार किया गया था और नियम के अन्तर्गत क्या ऐसा हो सकता है कि उन दरों का पुनरीक्षण किया जाये ताकि नई दरों को बढ़ते हुये मूल्यों के अनुकूल बनाया जा सके ? क्या वर्तमान दरें पर्याप्त हैं ?

श्री अ० म० थामस : 'नेशनल ट्रिब्यूनल' 1958 में बनाया गया था और 1960 में एवार्ड दिया गया था और उसको 1 अप्रैल 1959 से लागू किया गया था । यह एवार्ड 2 अप्रैल 1963 तक लागू रहा था और वे शर्तें अभी तक जारी हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ ने अपनी पिछली बैठक में यह प्रतिज्ञा की थी कि वे उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न करेंगे तथा देश में राष्ट्रविरोधी और समाजविरोधी तत्वों को समाप्त करेंगे ? क्या इन परिस्थितियों में विशेषकर जब कि वे उसी श्रेणी में हैं जिसमें कि कानपुर छावनी बोर्ड के कर्मचारी है, उनके वेतन इत्यादि को बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री अ० म० थामस : क्योंकि हमारे नागरिक ही कर्मचारी हैं और वे देशभक्त भी हैं, तो देशभक्त होने के नाते उन्हें कोई विशेष आर्थिक लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह कमरा इस प्रकार से बनाया गया है कि यदि कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष की ओर मुख करके बोलेंगे तो उनको सब लोग सुन सकेंगे ।

श्री अ० म० थामस : माननीय सदस्य ने कहा है कि एवार्ड 1963 तक लागू रहा था । मैंने अभी अभी कहा है कि शर्तें आज तक जारी हैं । इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि दूसरा ट्रिब्यूनल अथवा मज़दूरी बोर्ड बनाया जाये या नहीं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या उन्होंने उत्पादन बढ़ाने की प्रतिज्ञा की है या नहीं ।

श्री अ० म० थामस : उन्होंने वैसा ही किया है जैसा कि अन्य कर्मचारियों ने किया है ।

Shri M. L. Dwivedy : Has any action been taken under the 1960 award to improve the wages etc. of these employees ? In what circumstances the felt need for and demanded a wage board ? what was the arrangement, if any, and was it not functioning properly ? By when consideration on this matter will be over ?

श्री अ० म० थामस : जिस ट्रिब्यूनल के बारे में कहा गया है उसके निष्कर्ष विशेषत: पड़ोस की नगरपालिकाओं में चालू वेतन स्तरों पर आधारित हैं । विशेषत: उसी आधार पर ट्रिब्यूनल का एवार्ड दिया गया है । अब उन्होंने दूसरे ट्रिब्यूनल के बनाये जाने के लिये मांग की है और जैसा कि मैं ने कहा है, इस मामले पर विचार किया जा रहा है । वास्तव में सचिवालय स्तर पर भी बात-चीत हो चुकी है । माननीय मंत्री भी इस सम्बन्ध में संघ के प्रतिनिधियों से मिलेंगे ।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस मामले पर कब तक विचार कर लिया जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : मंत्री जी को उनसे मिलना चाहिए था। गत मास की 18 तारीख इसके लिए थी। परन्तु संघ के प्रधान को चर्चा के लिए आने में असुविधा होगी। निकट भविष्य में हम इस पर चर्चा करेंगे।

Shri Bhagwat Jha Azad : Whether it is not correct that last time when according to the decision of the Tribunal, the salary was increased, since then the prices have gone up considerably. People drawing between 500 to 2500 rupees were given dearness allowance. I want to know whether by the time the second Tribunal comes. Government are prepared to accept the ad hoc demand?

श्री अ० म० थामस : इसमें कोई सन्देह नहीं कि निर्वाह व्यय में काफी वृद्धि हो गयी है। इस कारण से इस मामले पर पूरी तरह विचार किया जा रहा है। छावनी बोर्डों और विभिन्न राज्यों की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन क्रमों पर भी विचार होगा। और उसे एक स्तर पर कर दिया जायेगा। संघ के प्रतिनिधियों के साथ इस समस्या पर चर्चा की जायेगी।

श्री स० चं० सामन्त : क्या 1959 वाले न्यायाधिकरण ने महंगाई भत्ते के रूप में वेतन में वृद्धि की थी ?

श्री अ० म० थामस : सामान्यतः वेतनों में वृद्धि की गयी है।

Shri Yashpal Singh : Whether Government will place on the table of the house Statement the disparity of Defence department employees with other departments. Whether these people are drawing less salary than the D.A.T.A. people ?

श्री अ० म० थामस : मामले पर विचार किया जा रहा है और समय पर उचित निर्णय किया जायेगा। इस की तुलना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। फिर भी उस मामले पर भी विचार कर लिया जायेगा। यह ठीक है कि छावनी बोर्डों और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन क्रमों को कुछ साम्यता होनी चाहिए।

श्री स० मो० बानर्जी : क्या अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करने सम्बन्धी नियम भी उनके वही हैं अथवा उन्हें नियमों के फायदे तो नहीं मिलते प्रत्युत नुकसान सहन करने पड़ जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस दिशा के वर्तमान भेदभावों को दूर करने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री अ० म० थामस : उन लोगों को केन्द्रीय सरकार के प्रतिरक्षा कर्मचारी नहीं माना जाता। वे छावनी बोर्ड के कर्मचारी है। कुछ ऐसी सेवा शर्तें हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं वह इन पर लागू कर दी गई है। इस का यह मतलब नहीं कि सभी शर्तें उन पर लागू की जाय।

श्रीमती अकम्मा देवी : छावनी अधिनियम 1924 जो कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए बनाया था अभी चल रहा है। इसे लेकर ही गत 18 बरसों में कई एक गम्भीर समस्याओं पैदा हो रही है। असैनिक आबादी भी इस कानून से परेशान है। क्या सरकार का विचार इस अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि लोगों को कुछ राहत मिलें ?

श्री अ० म० थामस : यह सामान्य प्रश्न है जिस पर कि अब विचार किया जा रहा है। अब हम छावनी बोर्डों के लोगों को सुविधायें प्रदान करने के लिए तदर्थ अनुदान जरूरत के अनुसार स्वीकृत कर रहे हैं। वैसे भी जरूरत पड़ने पर हालात के अनुसार स्वीकृति दे दी जाती है। हम जो भी विभिन्न छावनी बोर्डों के हालात हैं उनसे सन्तुष्ट नहीं हैं।

श्री अ० व० राधवन : क्या इन कर्मचारियों के वेतन क्रम विभिन्न राज्यों में विभिन्न है, यदि हां तो क्या सरकार इनमें एकरूपता लाकर एक केन्द्रीय वेतन क्रम बनायेगी।

श्री अ० म० थामस : मैंने यह निवेदन किया है कि ऐसा करना सम्भव नहीं हैं। इस सम्बन्ध में जो न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था उसने इस पर विचार किया था और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन क्रमों का अध्ययन किया था।

पाकिस्तान घुसपैठियों का वापिस बुलाया जाना

*925. **स० मो० बनर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने घुसपैठियों को वापिस बुलाने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को भेज दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जैसा कि 21 फरवरी 1966 को मैंने सदन को बताया था, हमारे पास यह निश्चित सूचना है कि पाकिस्तान ने घुसपैठियों को लौटने के लिए कहा था।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार का ध्यान 'टाइम्स ऑफ इन्डिया' के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने हाल ही में काश्मीर घाटी में कुछ तोड़फोड़ करने वाले भेजे हैं जिनमें कुछ सशस्त्र घुसपैठियें भी शामिल हैं ? क्या इस खबर में कोई सच्चाई है ; यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि 30 मार्च, 1966 के 'टाइम्स ऑफ इन्डिया' में पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम रेखा के पार घुसपैठिये भेजने के संबंध में और यह कि कुछ तोड़फोड़ करने वाले तथा सैनिक अधिकारी गिरफ्तार किये गये हैं समाचार प्रकाशित हुआ था। हम ने इसकी जांच की है। यह समाचार बिल्कुल भी सही नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : पाकिस्तान द्वारा कुल कितने घुसपैठिये भेजे गये थे और पाकिस्तान ने कुल कितने घुसपैठियों को वापस बुला लिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले पर चर्चा के समय इन आंकड़ों के अनुमान कई बार दिये जा चुके हैं। उस अनुमान के अनुसार उनकी संख्या 4,000 से 5,000 के बीच थी। जैसा कि मैंने 21 फरवरी को इस सभा में बताया लगभग सभी को वापस बुला लिया गया है--हो सकता है की जंगलों में या बाहर के स्थानों में हों। मैंने यह भी बताया था कि इन घुसपैठियों को जो जानकारी भेजी जाती थी, हम उसको पकड़ने में भी सफल हुए थे और जम्मू तथा काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत भाग में वापस जाने के लिये उनको कहा गया था।

श्री दाजी : क्या सरकार जानती है कि घुसपैठियों और मुजाहिदों के बारे में ताशकन्द घोषणा में जो आश्वासन दिये गये थे, पाकिस्तान काफी समय से उनसे पीछे हट गया है ? क्या सरकार जानती है कि एक खबर है कि कुछ चीनी जनरलों के अधीन एक विशेष प्रशिक्षण शिबिर स्थापित किया गया है जहां पर छापामारों को काश्मीर में भेजने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा, यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि पाकिस्तानी नेताओं द्वारा जो वक्तव्य दिये गये वे ताशकन्द करार के अनुसार नहीं हैं और उन्होंने ताशकन्द घोषणा का जो अर्थ निकाला है वह एक तरफा है, गलत है

और हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दाजी : प्रश्न का एक भाग यह था कि सरकार क्या करना चाहती है। केवल यह कहना कि पाकिस्तान ने ताशकन्द भावना का उल्लंघन किया है काफी नहीं है। क्या हम इस मामले पर पाकिस्तान से अथवा रूस से अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ से बातचीत करना चाहते हैं अथवा केवल चुपचाप बैठना और यह कहना कि पाकिस्तान ने ताशकन्द भावना का उल्लंघन किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले पर हम पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं द्वारा जो वक्तव्य दिये गये हैं उनकी ओर भी हमने पाकिस्तान का ध्यान दिलाया है। रावलपिन्डी में हुई पिछली बैठक में बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी परन्तु हम दूसरी बैठक के लिये राजी हो गये हैं। हम ताशकन्द घोषणा का पालन करने का प्रयत्न करेंगे और पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द समझौते के पालन किये जाने की वांछनीयता पर भी जोर देंगे।

श्री हेडा : उन घुसपैठियों के बारे में क्या स्थिति है जो अच्छी तरह कश्मीर भाषा बोलते हैं और लोगों के साथ घुलते मिलते हैं और गांवों में ठहरते हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? पहल इन व्यक्तियों की संख्या 8,000 दी गई थी।

श्री स्वर्ण सिंह : सभा जानती है कि पाकिस्तान ने घुसपैठियों की कार्यवाही के प्रति जम्मू तथा काश्मीर में लोगों के रवये के प्रति जो अनुमान लगाया था वह गलत निकला है और सामान्य रूप से वहां के लोगों ने घुसपैठियों के बारे में सूचना दी है जिसके परिणामस्वरूप ये घुसपैठिये गिरफ्तार किये गये। दूसरे हमारे सुरक्षा दलों द्वारा जो कार्यवाही की गई उसका वांछित प्रभाव पड़ा है। तीसरे, घुसपैठिये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए और कुछ ने तो ये संदेश वापस भेजे कि उनको सहयोग नहीं मिल रहा है और उन्हे वापस धकेला जा रहा है। काश्मीर राज्य की किसी भी बस्ती में इन व्यक्तियों की बड़ी संख्या नहीं है।

श्री हेडा : मैं कश्मीर भाषा बोलने वाले घुसपैठियों की बात कर रहा हूं।

श्री स्वर्ण सिंह : कश्मीरी बोलने वाले घुसपैठिये भी इसी श्रेणी में हैं। माननीय सदस्य की यह धारणा सही नहीं है कि क्योंकि कोई व्यक्ति वही भाषा बोलता है तो उसका पता नहीं लगेगा और स्थानीय लोग उसको सहायता देंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : तथाकथित आजाद काश्मीर से काश्मीर के हमारे भाग में ऐसे कितने घुसपैठिये आ रहे हैं जो तोड़फोड़, गुरेला लड़ाई और पहाड़ी युद्ध के लिये पूरी तरह प्रशिक्षित हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य की जो धारणा है वह गलत है। जहां तक तोड़फोड़ करने के लिए प्रशिक्षण-प्राप्त घुसपैठियों के भारत में प्रवेश का सम्बन्ध है सभा को ज्ञात होगा कि हमारी सुरक्षा सेनाओं ने जो सतर्कता बरती है उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि कुछ महीनों से तोडफोड की कोई भी कार्यवाही संभव नही हो सकी है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मंत्री महोदय ने काश्मीर राज्य के बारे में एक अच्छी स्थिति बतायी है और यह बताया है कि वहां पर 4000 से 5000 तक घुसपैठिये थे और उनमें से लगभग सभी वापस चले गये है और कोई इक्का दुक्का घुसपैठिया ही रह गया है। ऐसा वक्तव्य देने का क्या आधार है ? जो घुसपैठिये वापस गये हैं क्या उन्होंने अपने शिबिरों में अपने नाम रजिस्टर कराये हैं ? उन्हें कैसे यह विश्वास हो गया कि इस समय वे छिपे नहीं हैं ? क्या यह सच नहीं है कि उसके बाद बड़ी मात्रा में गोला बारूद पाया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि कोई रिकार्ड नहीं रखा जा सकता और इस बात की हमें सराहना करनी चाहिये। जब ये लोग भारत में आये, उनके बारे में जसे हम समाचार दे सके थे कि इतने व्यक्ति आये इसी प्रकार हम स्थिति का ठीक अन्दाज लगा सके है। जैसा सभा को हम बताते रहे हैं, उनके आने की जानकारी, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से प्राप्त विभिन्न विवरणों और जब वे घुसपैठिये यहां पर सक्रिय थे, उनको भेजे जाने वाले संदेशों को बीच में रोक कर, प्राप्त की जाती थी। इसी प्रकार जब विभिन्न प्रकार से विभिन्न संदेश भेजे गये, तब हमारे लिये यह पता लगाना संभव हो सका कि कितने व्यक्ति वापस गये हैं।

जहां तक उनके छिपे होने का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ छिपे हो सकते हैं लेकिन सामान्यत: जम्मू तथा काश्मीर के हमारी ओर की जनता का प्रत्युत्तर अच्छा रहा है और यदि स्थानीय जनता अपने उत्तरदायित्व को समझे और अधिकारियों को सूचित करती रहे तो वे सक्रिय नही हो सकते।

यह सच है कि दो-तीन सप्ताहों में जब हमारी सशस्त्र सेना युद्ध-विराम रेखा के पार के क्षेत्रों में गयी तो कुछ अवैध अस्त्र पकड़े गये।

Shri Kashi Ram Gupta : In view of the fact that after surrendering Haji Pir, the danger of infiltration has remained the same or rather it has increased, have the Government made some arrangements for arresting infiltrators before they cross into our territory and whether Government have any information about the exfiltration, were they seen going out or were they arrested ?

Shri Swaran Singh : I have already replied to the second part of the question. So far as first part of the question is concerned, it has been said that proper vigilance is done by our army, security forces and the local police.

श्री भागवत झा आजाद : जैसा मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ घुसपैठिये हो सकते हैं तो क्या सरकार यह नहीं समझती है कि यह ताशकंद समझौते के तीसरे करार के विरुद्ध है जिसमें पाकिस्तान ने हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया था यदि हो, तो क्या सरकार ने इस ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया है और इसपर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस बारे में पाकिस्तान सरकार की स्थिति बडी विचित्र है। उन्होंने कभी इन लोगों को भेजने की जिम्मेदारी नहीं ली थी और इसलिये वे यह भी नहीं मान सकते कि उन्होंने इनको वापस बुला लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि उसने विभिन्न तरीकों से उन लोगों को भेजा था और हम यह भी जानते हैं कि उन्हें वापस बुला लिया गया है। इस बारे में मुख्य पहलू ताशकंद घोषणा नहीं है बल्कि इन घुसपैठियों का हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा किया गया स्वागत और जम्मू तथा काश्मीर की जनता का सहयोग है।

श्री हरि विष्णु कामत : उनको अभी तक पकडा नहीं गया है। वे अभी भी वहां पर हैं।

Shri Bagri : In view of the fact the basis of conflict between India and Pakistan were infiltrators and in the Tashkent Agreement both the Governments took decisions in that connection, May I know whether the Government of Pakistan took responsibility for sending these infiltrators and that they would withdraw all of them? If not, May I know when they were not agreeing to the basic thing, why this Tashkent Declaration was made ?

Shri Swaran Singh : The first portion of the question stands replied. So far as the second part of the question is concerned, if they again sent infiltrators, they will be taught a good lesson. They will be arrested and killed.

Shri Bagri : The basic issue was that of infiltrators. When Pakistan did not take responsibility for sending these infiltrators on what issues the agreement was made ?

Mr. Speaker : He has replied that.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या 'घुसपैठिये (इन्फिल्ट्रेटर्स)' शब्द में रजाकार और मुजाहिद भी शामिल हैं और क्या प्रतिरक्षा सेनाओं को आदेश दे दिये गये हैं कि उन्हें गोली मार दी जाय ?

श्री स्वर्ण सिंह : घुसपठिया वह व्यक्ति है जो शस्त्र लेकर हमारे प्रदेश में घुसता है, चाहे वह रजाकार हो या मुजाहिद हो या पुलिसमैन हो या सैनिक हो। जैसा बताया जा चुका है उनमें से कुछ नियमित सेना के व्यक्ति थे। उनको तोडफोड की कार्यवाही के लिये रखा गया और इसलिये वे हमारे प्रदेश में घुस आये। हमे इस बारे में गौर करना है। उनको गोली मारने के लिये किन्हीं निदशों की जरूरत नहीं। हमारे प्रदेश में घुसने वाले हर सशस्त्र व्यक्ति को गोली मारी जा सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत : पिछले सत्र में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि इन घुसपैठियों को पकडा जायगा और देखते ही उनको गोली मार दी जायगी। यह बात ताशकन्द घोषणा से पहले की है। क्या ताशकंद घोषणा से सरकार की नीति और रवैये में परिवर्तन आ गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : नीति में परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने अभी बतलाया कि शस्त्र लेकर हमारे प्रदेश में घसने वाले हर व्यक्ति को गोली मारी जा सकती है और उसे कडा से कडा दण्ड दिया जा सकता है ?

श्री हरी विष्णु कामत : क्या आप वास्तव में ऐसा करते हैं ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : एक बार हमारे प्रदेश में घुस आने वाले घुसपैठियों की संख्या 8,000 बतायी गयी थी। अब मंत्री महोदय का कहना है कि उनमें से 4,000 पाकिस्तान वापस चले गये हैं। क्या मंत्री महोदय को यह संतोष है कि लगभग वे सभी घुसपैठिये वापस चले गये हैं जो....

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है। श्री रघुनाथ सिंह।

Shri Raghunath Singh : Before signing the Tashkent Declaration, President Ayub Khan had said that he does not own the responsibility for infiltrators and after that he signed the Agreement ?

Shri Swaran Singh : He did not say that.

श्रीमती सावित्री निगम : पाकिस्तानी समाचारपत्रों और अन्य समाचारपत्रों में छप रहे आपत्तिजनक भारत-विरोधी, ताशकंद-विरोधी और मानवता-विरोधी वक्तव्यों के अतिरिक्त पाकिस्तान रेडियो से हर समय भारत के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। क्या ये सब बातें उन मित्र देशों को बता दी गयी हैं जो ताशकंद समझौता कराने के लिये जिम्मेवार हैं और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी समाचारपत्रों और पाकिस्तानी रेडियो, विशेषत: आजाद काश्मीर रेडियो का रवैया बडा आपत्तिजनक रहा है और इस बारे में हमने पाकिस्तान सरकार को बता दिया है और उनको ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत उनके उत्तरदायित्व के बारे में याद दिलाया है।

अन्य मित्र-देशों को सूचित करने के बारे में भी हमने कार्यवाही की है और हम ऐसा करते रहेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the attention of the Government has been drawn to the statement of the Chief Minister of Assam that there are about one lakh infiltrators in Assam ? If so, whether Government are trying to exfiltrate them and whether they also contemplate to send their infiltrators into Pakistan territory ?

Mr. Speaker : How it can be said ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He said that in a statement.

Shri Swaran Singh : This is a separate issue. यह प्रश्न जम्मू तथा काश्मीर राज्य में घुसपैठ के सम्बन्ध में है।

श्री नाथ पाई : जम्मू तथा काश्मीर नहीं। जब उन्होंने यह बताया कि जो भी व्यक्ति शस्त्र लेकर हमारे प्रदेश में आता है, वह घुसपैठिया है। मैं समझता हूं कि यह बात पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है ।

श्री हरी विष्णु कामत : कोई उत्तर नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : आसाम सरकार द्वारा आसाम में घुसने वाले अवैध व्यक्तियों को रोकने और घुस आये व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है और अब वह समस्या बहुत थोड़ी रह गयी है ।

श्री हरी विष्णु कामत : और अभी भी वे आते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether attention has been drawn to his statement ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि वह मंत्री का नाम बतायें तो मैं पता लगाऊंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Chief Minister of Assam has said that.

Language Policy of A.I.R.

\+

***926. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Barooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S.C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Daljit Singh :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the main recommendations of the Report of the Committee constituted during the tenure of the former Minister of Information and Broadcasting under the Chairmanship of Shri Sri Prakasa to remove the difficulties relating to the language used in All India Radio ;

(b) whether a copy of the report will be laid on the Table;

(c) whether it is a fact that a number of changes have been made in the language policy of A.I.R. and also in the terminology used in the broadcasts after the submission of the Report of the aforesaid Committee; and

(d) the reasons for making changes in the language policy of A.I.R. from time to time and not evolving a permanent policy therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) to (d). The committee did not submit any report as such it, however, made certain recommendations in the course of the seven meetings it held. A note indicating the main recommendations of this Committee is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library, See No. L. T. 5966/66.]**

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Speaker, Sir, instead of laying the full report on the table only certain recommendations have been laid on the Table. Why that report has not been laid on the table ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पती : कोई प्रतिवेदन नहीं है। केवल सिफारिशें ही की गयी थीं जो मैंने सभा-पटल पर रख दी हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : उसको सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वह सभा पटल पर रख दी गयी है। अब वह दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री म० ला० द्विवेदी : केवल कुछ सिफारिशें ही रखी गयी हैं, सब नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि कोई रिपोर्ट नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi : For how many days this committee worked and whether the glossary prepared by the committee shall be laid on the table ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पती : समिति ने अक्तूबर 1962 से अक्तूबर, 1964 तक दो वर्ष तक काम किया और उसकी सिफारिशों पर विचार किया गया है।

Shri M. L. Dwivedi : My qustion was whether the glossary, if any, prepared by the committee shall be laid on the table ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : आकाशवाणी ने लगभग 1,000 शब्दों की एक शब्दावली बनायी है। इस समिति ने कोई शब्दावलि नहीं बनायी है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्यों कि भाषा का विकास होता रहता है, इसलिये क्या सरकार जनता की राय को ध्यान में रखते हुए समय समय पर आकाशवाणी द्वारा प्रयुक्त भाषा के प्रश्न का पुनर्विलोकन करने के लिये संसद् सदस्यों और अन्य भाषा विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति बनायेगी ?

श्री राज बहादुर : सभा को याद होगा कि संसद् सदस्यों की एक समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसरण में श्री प्रकाश समिति बनायी गयी थी और इस समिति का यही उद्देश्य था। अन्यथा माननीय सदस्य का प्रश्न एक सुझाव है।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether the languge is used on A.I.R. with a view to its gradual development? This policy is that of Government of the Hon. Minister or the high Officials or the Director General ? If that policy is that of Government how is it that it is changed by the Director General or high Officials ?

Shri Raj Bahadur : The policy which is followed is the policy mentioned in the Constitution. The policy can be defined but it cannot be changed.

श्री स० चं० सामन्त : समिति द्वारा किये गये निष्कर्षों के अनुसार क्या विभिन्न भाषाओं में संस्कृत मूलक समान शब्दों को एकत्र किया गया और आकाशवाणी में प्रयुक्त किया गया और यदि हां, तो इस बारे में श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री राज बहादुर : प्रयास यह रहा है कि केवल संस्कृत के ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के भी समान शब्दों को रखा गया और इन हजार शब्दों में ऐसा ही किया गया है ।

Shri A. N. Vidyalankar : Have the Sri Prakasa Committee and the Government kept in view the fact that unless and until Hindi is used in practice, there will be conflict and differences about the status of Hindi ?

Shri Raj Bahadur : Hindi has its own status. Language is a developing thing and Hindi will also develop. There should be no objection to any one.

श्री बाकर अली मिर्जा : क्या देश के हिन्दी क्षेत्रों में इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि भाषा नीति का उद्देश्यों से किस हद तक मेल बैठता है और हिन्दी क्षेत्रों में कितने लोग आकाशवाणी द्वारा प्रसारित भाषा को समझते हैं ?

श्री राज बहादुर : समय समय पर ऐसा किया गया है और इसीलिये 1962 में संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई गयी थी और बाद में श्री प्रकाश समिति स्थापित की गयी । समय समय पर इस बारे में विचार किया जाता है । वास्तव में श्री प्रकाश समिति ने लगभग पचास प्रमुख हिन्दी और उर्दू लेखकों, स्कालरों आदि को उनकी राय जानने के लिये पत्र लिखे । उन्होंने अपना संतोष व्यक्त किया है । कठिनाई तब पैदा होती है जब कोई संस्कृत शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिये अन्य कोई दूसरा शब्द नहीं है, और ऐसे मामलों में किसी तकनीकी शब्द पर आपत्ति होना स्वाभाविक ही है ।

श्री बाकर अली मिर्जा : मैं संस्कृत शब्दों के विरुद्ध नहीं हूं बल्कि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सर्वेक्षण किया गया ।

श्री राज बहादुर : श्रोता अनुसंधान की भी व्यवस्था है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Due to recent change, the rural programme has been reduced and the language also has become incorrect while there is large number of listeners of rural programme including armymen, farmers etc. I want to know the reason for this change.

Shri Raj Bahadur : The rural programme is broadcast in Brij and Haryana language. I do not know if there is any cut in programme.

Shri K. D. Malvia: This committee has made, broadly speaking, six recommendations and it took two years to make recommendations. In future if such committees are formed it should be seen that it gives their recommendations early, such long time is not taken.

Shri Raj Bahadur : No, Sir, they made recommendations but after that the committee was there to see as to how far the recommendations are implemented. In 1964 the Committee wrote to 50 eminent persons. After receiving their opinion, the actual work started.

Shri K. D. Malvia : Was it a standing committee ?

Shri Raj Bahadur : It was a standing committee for a particular period.

श्री हनुमन्तैया : इस राष्ट्रीय भाषा, हिन्दी के इस्तेमाल के बारे में क्या मंत्री महोदय केवल उत्तर भारत के लोगों की आवश्यकताओं पर ही ध्यान देते हैं या दक्षिण भारत के लोगों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देते हैं। उत्तर भारत में जहां उर्दू अधिक प्रचलित है उर्दू-निष्ठ हिन्दी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये जब कि भारत के चार दक्षिणी राज्यों के लोग संस्कृत जानते हैं, वहां संस्कृत-निष्ठ हिन्दी मान्य होगी।

श्री राज बहादुर : मुख्य तौर पर उद्देश्य यह है कि ऐसा उपाय अपनाया जाय जो अधिकतर लोग समझ सकें और जो संभव हो सके। निःसन्देह इसके लिए संस्कृत आधार बन सकेगी।

श्री बाकर अली मिर्जा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री राजाराम : उत्तर से यह पता लगता है कि समिति ने कहा है कि हिन्दी ऐसी होनी चाहिये जिसमें संस्कृत का अधिक प्रयोग हो। क्या समिति ने द्रविड़ भाषाओं से शब्द लेने के बारे में कोई प्रकाश डाला है ?

श्री राज बहादुर : हम हिन्दी तथा द्रविड़ भाषियों दोनों को यथासम्भव अधिक ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए कहेंगे जिनका प्रयोग दोनों में होता हो। निश्चय ही, द्रविड़ भाषायें भी साझे शब्दों का स्रोत हो सकती हैं।

Shri Shiv Narain : I would like to know whether the committee has laid stress on Sanskrit and also on Urdu words being assimilated into Hindi ? What are the recommendations of the committee ?

Shri Raj Bahadur : I have laid the recommendations of the Committee on the table of the House.

\+ **Use of Hindi**

***927. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the percentage of increase in the use of Hindi in her Secretariat and other Attached offices since the 26th January, 1965 so far;

(b) whether any scheme has been formulated in this connection or the offices are at liberty to work in the way they like; and

(c) the time by which at least fifty per cent of work will be done in Hindi ?

Parliamentary Secretary to the Prime Minister (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Communications received in Hindi are being dealt with in Hindi and their replies are also given in Hindi. The percentage of Hindi correspondence is approximately 23% of the total correspondence in the Prime Minister's Secretariat.

(b) The general rule is that correspondence received in Hindi should be replied to in the same language;

(c) As the percentage of communications received in Hindi increases, the use of Hindi in this Secretariat will increase. It is not possible to estimate the time by which fifty per cent of the work in Hindi will be reached. However, progressive use of Hindi in this Secretariat will keep pace with the use of Hindi in other branches of Government of India.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the number of the employees of Prime Minister's Secretariat who have taken benefit of the Hindi teaching Scheme of Ministry of Home Affairs ? Whether any useful purpose is served by the people who have received such training.

Dr. Sarojini Mahishi : 202 persons are working in Prime Minister's Secretariat, out of which 123 need training in Hindi and English. Of these 76 persons have already got such knowledge and 47 persons need such training but only four of them have got the training so far. Attempts are being made to impart training to the remaining persons.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was whether such training is being put to actual use:

Dr. Sarojini Mahishi : Yes. Their training is being utilised.

Shri Prakash Vir Shastri : The late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru used to emphasize on our delegations visiting abroad and aslo in the functions in honour of visiting dignitaries for more use of our own language. I do not know whether the Prime Minister's Secretariat, or Prime Minister herself is following that practice. It has been often noticed that in the receptions held in their honour, the foreign dignitaries speak in their own language where as we speak in English. May I know whether any directives have been issued to use our own language ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : I believe that practice is being followed.

Shri Prakash Vir Shastri : It is not a question of belief. I would like to know what is the practice and whether any directives have been issued.

Shrimati Indira Gandhi : No new directives have been issued.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The first broadcast of the Prime Minister after her election was in English. This had a very bad reaction in the country, because her mother-tongue is Hindi. I would like to know when will she give her first broadcast in Hindi.

Shrimati Indira Gandhi : That is over. What can be done now.

Mr. Speaker : It is not proper to criticise that now.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : From my personal knowledge, I would like to say that the circular sent by the Ministry of Home Affairs to other Ministries is being constantly ignored by the Ministry of Agriculture. The employees, who want to conduct work in Hindi are being prevented from doing so. That is very disgusting.

Dr. Sarojini Mahishi : If the hon. Minister writes in this connection, an enquiry will be made.

Shri Bade : Part (b) of the question has not been replied. An application was rejected by the Railway Service Commission, Calcutta on the ground that it was not signed in English. I have got an application of Shri Saxena. He has written me a letter.

Mr. Speaker : She has asked you to send it to her.

Shri Bade : It is the practice in Railway Commission, Calcutta that applications not written or signed in English are not considered.

Dr. Sarojini Mahishi : There is no such scheme but it is a generally accepted rule that letters received in Hindi are replied in Hindi, but the hon. Member should also keep in mind that if we make Hindi compulsory, there will be repurcussions against it.

Shri Bade : That is not the proper answer.

Mr. Speaker : She has already asked you to write to her.

Shrimati Indira Gandhi : If it is sent, it will be looked into.

श्री कंडप्पन : क्या ऐसा कोई उपबन्ध है कि तमिल में प्राप्त-हुये पत्रों का उत्तर तमिल में ही दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डा० सरोजिनी महिषी : खेद है कि सभी भारतीय भाषाओं में उत्तर देने की कोई व्यवस्था नहीं है। हिन्दी तथा अंग्रेजी सरकारी भाषायें हैं।

श्री जी० घा० कृपलानी : मुझे भी अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक ऐसा पत्र मिला है कि क्योंकि प्रार्थना-पत्र पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर नहीं हैं, इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह पत्र उन्हें भेजा जायेगा तो वह इसकी जांच करेंगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

काश्मीर के सम्बन्ध में लार्ड एटली का वक्तव्य

*924. **डा० राम मनोहर लोहिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लार्ड एटली का स्वतंत्र काश्मीर संबंधी वक्तव्य ब्रिटेन की मजदूर दल की सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है ; और

(ख) क्या इस से भारत को काश्मीर छोड़ देने के लिये सहमत कराने के संबंध में ब्रिटेन के किसी नये प्रस्ताव का आभास मिलता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ब्रिटिश सरकार ने इस तरह के कोई विचार व्यक्त नहीं किए है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Publicity Scheme for Savings in Foodgrains

*929. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Shinkre :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any publicity scheme for popularising savings in foodgrains at the home front ;

(b) if so, the broad features thereof; and

(c) the extent of success achieved through such publicity ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See. No. LT/5967/66].**

(c) It is difficult to gauge the success of a publicity campaign in concrete terms. However, the Publicity undertaken for the "Save Grain Campaign", particularly the exhortation to 'Miss a Meal', has had considerable impact.

Compulsory Military Training

*930. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government contemplate to start compulsory military training throughout the country; and

(b) if so, the number of persons to be trained under the scheme ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No such decision has been taken.

(b) Does not arise.

Diversion of River Howrah by Pakistan

*931. **Shri Kindar Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the other side of Tripura border, the Government of Pakistan have vigorously started the work to divert the course of the river Howrah; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

सर्वोच्च स्तर पर समन्वय

*932. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च स्तर पर समन्वय तथा क्रियान्वन करने वाले संगठन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता का विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : सर्वोच्च स्तर पर इस संगठन (अभिकरण) में मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल की कई समितियां सम्मिलित हैं जो सरकारी कारोबार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार गठित की जाती हैं । वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की समितियों का अभी हाल में ही पुनर्गठन किया गया है । कार्यालयीन स्तर पर इसी प्रकार की सचिवों की समितियां

हैं। मंत्रिमंडल तथा उसकी समिति के निर्णयों तथा सचिवों की समिति के निर्णयों को कार्यान्वित किया जा रहा है कि नहीं, इस बात पर बराबर निगरानी रखी जा रही है। यह व्यवस्था सामान्य तथा संतोषजनक रीति से काम कर रही है और जहां कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता होती है, सुधार कर दिया जाता है।

जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य

*933. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आवेदन के प्रति सरकार का क्या रवैया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सुस्थिर प्रक्रिया के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की नई सदस्यता लेने की अर्जी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विचार करना होता है। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है और इसलिए कुछ समय तक उसका कोई सरोकार न होगा। इस बीच हम इस प्रश्न का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं।

मलयेशिया से प्रतिरक्षा दल

*934. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री वारियर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम हरख यादव :
श्री बागड़ी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया की सशस्त्र सेना के लिये भारत में बने गोलाबारूद को खरीदने की संभावनाओं पर बातचीत करने के लिये मलयेशिया का एक प्रतिरक्षा दल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या कोई करार हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : भारतीय सहायता की विशेषकर प्रशिक्षण संबंधी सहायता की संभाव्यताओं की जांच के लिए, एक मलयेशियाई रक्षा प्रतिनिधिदल ने भारत का भ्रमण किया था। इस संबंध में दल ने प्रारम्भिक बातचीत की थी और उन्होंने रक्षा प्रशिक्षण और अन्य संस्थानों का भ्रमण भी किया था। मलय सरकार की आवश्यकताओं पर भी तभी ध्यान किया जाएगा, जब वह अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

इण्डोनेशिया में भारतीय लोग

*935. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया में रहने वाले भारतीय लोगों के लिये अब स्थिति में सुधार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से सुधार हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालयमें राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : स्थिति में सामान्य सुधार हुआ है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि इण्डोनेशिया में रहने वाले भारतीय किसी कठिनाई का अनुभव कर रहे हों।

नये हथियार तथा सैनिक सामान

*936. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री दाजी :**

श्री स० मो० बनर्जी : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक हथियारों को आधुनिकों ढंग का बनाने तथा नये हथियारों और सैनिक सामान का आविष्कार करने के लिये प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं में अनुसंधान किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार प्रतिरक्षा कार्यों के लिये प्रक्षेपणास्त्र, राकेट तथा राडार बनाने में सफल हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : उल्लिखित साजसामान की कई किस्में या तो चालू निर्माण कार्यक्रम में है, या अपने रक्षा उत्पादन संस्थानों के भावी निर्माण कार्यक्रम में। उनके विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

कानपुर में मिश्र धातु इस्पात का कारखाना

*937. **श्री फिरोडिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार रूसी सहायता एवं सहयोग के साथ कानपुर में मिश्रधातु इस्पात का एक कारखाना लगाने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारखाने को गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाने का विचार है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित संयंत्र के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) : यू० एस० एस० आर० के सहयोग से एक अलाए स्टील संयत्र स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस उद्देश्य के लिए स्थानों में से कानपुर में एक स्थान पर विचार किया जा रहा है। उत्पादन के विभिन्न ढंगों और स्थानों के तुलनात्मक अर्थ विषय निरीक्षणाधीन हैं। कानपुर में अलाय स्टील संयन्त्र स्थापित करने के लिए एक निजी क्षेत्र की यूनिट को लाइसेंस दिया गया है, परन्तु वह संयन्त्र विचाराधीन प्रस्ताव के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले संयन्त्र से भिन्न और अतिरिक्त है।

स्वदेश लौटने की प्रतीक्षा में कोलम्बो में रुके हुए भारतीय राष्ट्रजन

*938. **श्री मुथिया :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेश वापस लौटने वाले कोलम्बो स्थित नजरबन्द शिबिर में रखे गये भारतीयों के प्रति सन्तरियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है जैसा कि 11 मार्च, 1966 को श्री लंका श्रमिक कांग्रेस के राजनैतिक सचिव ने उत्प्रवास नियंत्रक को रिपोर्ट दी है;

(ख) क्या निरुद्ध व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को सन्तरियों ने बुरी तरह मारा-पीटा था तथा चोट के कारण उसकी अस्पताल में मृत्यू हो गई ; और

(ग) उनके प्रति इस प्रकार किये जाने वाले दुर्व्यवहार को समाप्त करवाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जहां तक सरकार को पता है, नजरबंदी शिबिर में स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है ।

(ख) कहा जाता है कि कारोनर की जांच के अनुसार एक बंदी की मृत्यु अस्पताल में प्राकृतिक कारणों से हुई है, अर्थात "निमोनिया के कारण फेफड़ों के भारीपन से परिसर संचरण बंद हो जाना" (पेरिफीरल सरकूलेटरी फेल्योर ड्यू टु मैस्सिव लोबर निमोनिया) ।

(ग) कोलम्बो स्थित भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी बंदी शिबिरों को कभी-कभी देखने जाते हैं और श्री लंका के अधिकारियों से, जहां आवश्यक होता है, सुधार संबंधी कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं ।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में श्री बिजू पटनायक की उपस्थिति

*939. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान 10 मार्च, 1966 को विधान सभा में उड़ीसा के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने प्रधान मन्त्री को यह सुझाव नहीं दिया था कि 13 फरवरी, 1966 को दिल्ली में आयोजित खाद्य के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में श्री बिजू पटनायक उनका प्रतिनिधित्व करें ;

(ख) श्री पटनायक ने सम्मेलन में किस हैसियत से भाग लिया और क्या कोई अन्य गैर-सरकारी व्यक्ति को बुलाया गया था और क्या उस ने सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा के मुख्य मन्त्री के प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य के उप-मुख्य मन्त्री ने भाग लिया था तथा किन कारणों से श्री पटनायक की उपस्थिति आवश्यक समझी गई थी ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : श्री पटनायक को मैंने उन की व्यक्तिगत हैसियत में सम्मेलन में आने के लिए कहा था क्योंकि वे उड़ीसा की खाद्य स्थिति से परिचित थे । इस से पहले उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने यह सुझाव दिया था कि श्री पटनायक से उड़ीसा की खाद्य स्थिति के बारे में परामर्श किया जाए । जयपुर में हुई चर्चा के समय श्री पटनायक उपस्थित थे, और यह सोचा गया कि दिल्ली के सम्मेलन में भी उन की मौजूदगी लाभदायक होगी । किसी और गैर-सरकारी व्यक्ति को सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था । उड़ीसा सरकार की तरफ से वहां के उप-मुख्य मन्त्री सम्मेलन में शामिल हुए थे ।

Indian Territory under occupation of Pakistan and China

*940 **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the area of Indian territory under the occupation of China and Pakistan respectively; and

(b) the steps being taken by Government to recover the same ?

The Minister of External Affairs (Sri Swaran Singh) : (a) As a result of their aggression China is on illegal occupation of approximately 14,500 sq. miles of Indian territory in Ladakh. The total area under illegal occupation by Pakistan since Pakistan's aggression in Jammu and Kashmir in 1947 is approximately 32,500 sq. miles. Out of this a little over 2,000 sq. miles of territory has been illegally ceded to China by Pakistan under the so-called Sino-Pak Border Agreement.

(b) The circumstances of such illegal occupation of Indian territory by Pakistan and China, and the Government's stand on these questions are well-known. The Government's policy is to strive for the ending of such illegal occupation by peaceful means consistent with the honour, sovereignty and territorial integrity of the country.

नौसेना के कुछ कर्मचारियों द्वारा नागरिकों की मार पीट

*941. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन हार्बर रेलवे स्टेशन पर हाल ही में नौसेना के कुछ कर्मचारियों ने नागरिकों तथा पुलिस के सिपाहियों की मार-पीट की ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : अन्तिम रेल स्टेशन कोचीन बन्दरगाह पर स्थानों के आरक्षण के प्रश्न पर कुछ झगड़ा हो गया था, जिसमें नौसेना के कुछ सेविवर्ग अन्तर्गस्त थे। एक बोर्ड आफ इन्क्वायरी प्रगतिशील है, और उसकी कार्यवाही और सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जांच की सम्पूर्ति पर जो कार्य आवश्यक समझा जायेगा किया जाएगा।

सैनिक अस्पताल

*942. **डा० राम मनोहर लोहिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमृतसर में और भारत के पश्चिम, पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के सैनिक अस्पतालों में उपकरणों की अपर्याप्तता तथा पर्याप्त योग्यता वाले कर्मचारियों की कमी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कमियों और न्यूनताओं को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : सीमा क्षेत्रों के सैनिक अस्पतालों में योग्य कर्मचारिगण के अभाव और साज़सामान की कमी की ओर सरकार का कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। सक्रिय संक्रिया से पैदा होने वाली आकस्मिक अतिरिक्त

आवश्यकताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सामान और साज़सामान आरक्षित रख दिए गए हैं, और वह संक्रियात्मक आवश्यकताओं का सामना करने के लिए अल्प सूचना पर, मर्म-स्थानों पर पहुंचाए जा सकते हैं। सीमा क्षेत्रों के अस्पतालों के सफल और सकुशल काम करने के लिए उनकी वर्तमान् नियुक्त जनशक्ति पर्याप्त है।

Selection of members for delegations

***943. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Mohammed Koya :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether he had consulted any Parlimentary Organisation regarding selection of the delegates sent to different countries recently ;

(b) if not, the basis of selection; and

(c) whether any complaint has been received regarding the delegations or against their members from anywhere ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) & (b). The selection was made by the late Prime Minister Shastri after consulting the Foreign Minister and the Minister of Parliamentry Affairs. In the opinion of the Government, the Members selected were eminent and capable persons who could carry out the assignment of the Prime Minister.

(c) No, Sir.

Construction of Roads by China

***944. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Kajrolkar :
Shri M. Rampure :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China is constructing roads to ink Aksai-Chin with Pak occupied area of; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर के कर्मचारी

***945. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर में छः महीनों से अधिक समय से लगातार काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की 31 मार्च, 1966 को छंटनी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार ने उन्हें दूसरी नौकरी देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) : जी हां। सी० ओ० डी० जबलपुर के 36 कर्मचारी जिन्होंने 6 मास लगातार सेवा की है, 31 मार्च 1966 को छंटनी किए जाने थे। तथापि उन सभी को वैकल्पिक काम दे दिया गया है।

परमाणु अस्त्रों क प्रसार सम्बधी संधी

*946. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस, अमरीका तथा ब्रिटेन ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार के सम्बन्ध में एक संतुलित संधि के भारतीय प्रस्ताव को ठुकरा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस के लिये कोई कारण बताये हैं ; और

(ग) इस मामले में आगे और क्या प्रयत्न किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) से (ग) : संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि परमाणु-अस्त्रों के फैलाव को रोकने से संबद्ध संधि में परमाणु-अस्त्रों वाले राष्ट्रों और बिना परमाणु-अस्त्रों वाले राष्ट्रों के बीच परस्पर सहमत जिम्मेदारियों का एक स्वीकार्य संतुलन भी होना चाहिए। भारत तथा अन्य परमाणु-अस्त्र हीन देशों ने प्रस्ताव किया है कि अगर इस तरह का स्वीकार्य संतुलन कायम करना है तो परमाणु-अस्त्र हीन राष्ट्रों के परमाणु अस्त्र अर्जित न करने के वचन के बदले में उन्हें समुचित मात्रा में परमाणु निरस्त्रीकरण करना चाहिए। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन परमाणु निरस्त्रीकरण की आवश्यकता को तो स्वीकार करते हैं किंतु वे परमाणु अस्त्रों वाले राष्ट्रों द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण की व्यवस्था को परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने की संधि में रखने के खिलाफ हैं और उनका कहना यह है कि इससे यह संधि पेचीदा हो जाएगी और इसके संपन्न होने में देर लगेगी। भारत तथा गुटों से अलग रहने वाले परमाणु अस्त्र हीन राष्ट्र इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस प्रश्न पर उनके दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाए।

Visit of Pro-Russian Communist Leaders of India to U.S.S.R.

*947. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a party of Pro-Russian Communist Leaders of India visited U.S.S.R. to attend the Congress of the Communist Party of Soviet Union held last month; and

(b) if so, whether Government gave them the necessary permission and the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) On an invitation of the Central Committee of the C.P.S.U., a delegation of members of the Communist Party of India (R) left for the Soviet Union last month to attend the Twenty Third Congress of the Communist Party of the Soviet Union, which began on 29th March, 1966.

(b) Yes, Sir. The Government of India gave necessary facilities to the members of the delegation for their visit to the Soviet Union. The Government have been affording such facilities to Indian delegates attending such Congresses in foreign countries.

सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारी

*948. **डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवामुक्त किये गये आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों तथा प्रादेशिक सेना के अधिकारियों के लिये किन्हीं अन्य कामों की व्यवस्था कर सकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारियों को काम पर लगाया जा चुका है और कितने अधिकारियों को काम दिलाये जाने की सम्भवना है तथा कितनी अवधि के अन्दर ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार जनवरी 1967 में शुरू करके अगले चार वर्षों में आपाती कमीशन-प्राप्त अफसर दलों में सेवा से विमुक्त किये जाने हैं। जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 2093 दिनांक 14-3-66 के उत्तर में पहले कहा गया है। सरकार ने हर वर्ष सेवा से विमुक्त होने वाले आपाती कमीशन-प्राप्त अफसरों के लिए स्थायी रिक्त स्थानों का कुछ प्रतिशत निम्न तौर पर आरक्षित रखने का निर्णय किया है :—

इंजीनियरों और डाक्टरों के लिए .	भारत सरकार की इंजीनियरी और चिकित्सा सेवाओं में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में 30 प्रतिशत ।
दूसरों के लिए . . .	आई० ए० एस०/आई० एफ० एस० में 20 प्रतिशत ।
	आई० पी० एस० में 30 प्रतिशत ।
	प्रथम श्रेणी में केन्द्रीय सेवाओं और (गैर-तकनीकी) स्थानों में 25 प्रतिशत ।
	द्वितीय श्रेणी में केन्द्रीय सेवाओं और (गैर-तकनीकी) स्थानों में 30 प्रतिशत ।

जहां तक प्रादेशिक सेना अफसरों का संबंध है, उनकी प्रादेशिक सेना में नियुक्ति अंशकालिक आधार पर है। गंभीर राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान ही, और वह भी कम से कम आवश्यक समय के लिए, वह समग्र समय की सेवा के लिए समंगीकृत किए जाते हैं। असमंगीकरण पर जो तो पहले ही असैनिक सेवा में थे, अथवा अपने कारोबार में लगे थे, अपने अपने काम पर वापस चले जाते हैं। अन्य जो पहले काम पर नहीं लगे होते, रोजगार में आई रूकावट को दूर करने के लिए 70 प्रा० दे० अफसरों के राष्ट्रीय छात्र सेना में नियुक्त किया गया है। जब तक वह नियमित रूप से असैनिक रोजगार में काम नहीं पा जाते प्रा० दे० के बेरोजगार अफसरो की सुविधा से असैनिक कामों में नियुक्ति के लिए उन्हें छंटनी किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी विभागों में रिक्त स्थानों के लिए, काम दिलाऊ कार्यालयों द्वारा चयन के लिए तीसरी प्राथमिकता दी जाती है।

नागालैंड में शांति मिशन

*949. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री हेम बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
डॉ० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को तथाकथित नागालैंड की संघीय सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि शांतिमिशन में नागालैंड तथा भारत से बाहर के एक और सदस्य की नियुक्ति कर के उसे मजबूत किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां, शांतिमिशन के जरिए इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) भारत सरकार ने शांतिमिशन को सूचित कर दिया है कि छिपे नागाओं के साथ वर्तमान वार्ता बिशुद्ध रूप से घरेलू मामला है जिससे बाहरी एजेंसियों अथवा व्यक्तियों का कोई सरोकार नहीं हो सकता। सरकार किसी अन्य विदेशी को शांतिमिशन में शामिल करने के लिए राजी नहीं होगी।

"सोशलिस्ट इंटरनेशनल" द्वारा भारत की आलोचना

*950. **डॉ राम मनोहर लोहिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि "सोशलिस्ट इंटरनेशनल" नामक एक संगठन ने, जिस का उत्तरी तथा पश्चिमी यूरोप में काफी प्रभाव है, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के लिये भारत की निंदा की है ;

(ख) क्या यह "सोशलिस्ट इंटरनेशनल" संगठन श्री विल्सन के वक्तव्य से प्रभावित हुआ है अथवा श्री विल्सन इस संगठन से प्रभावित हुए है ; और

(ग) यदि हां, तो "सोशलिस्ट इंटरनेशनल" संगठन के इस पाकिस्तानसमर्थक रवैये के कारण की गई शरारत को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : सोशलिस्ट इंटरनेशनल के 'सोशलिस्ट इंटरनेशनल इन्फरमेशन' नामक पाक्षिक प्रकाशन के 18 सितंबर 1965 के अंक में भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर एक समीक्षा प्रकाशित की गई है। इसमें ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के 6-7 सितंबर का वक्तव्य भी उद्धृत है। सरकार को नहीं मालूम कि इस समीक्षा-कार को किन बातों ने प्रभावित किया था।

(ग) हमारे मिशनों ने इस संघर्ष के बारे में तथ्यों को समझाते हुए सूचना का व्यापक वितरण किया है।

केरल के स्कूलों में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन का एकत्रित किया जाना

3176. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को भी राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन देने से छूट नहीं दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों का पता है कि राष्ट्रीय रक्षा रक्षा कोष के लिये धन न दे सकने वाले विद्यार्थियों को स्कूल से निकाल दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन समाचारों की जांच की है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार धन एकत्रित करने के इन तरीकों को समाप्त करने के बारे में कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये अंशदान बिल्कुल ऐच्छिक हैं। अंशदान देने के लिये किसी को बाध्य नहीं किया जाता

(ख) सरकार ने ऐसे कुछ समाचार देखे हैं।

(ग) केरल सरकार द्वारा जांच करने पर पता चला है कि ये समाचार निराधार हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह

3177. **श्री राम हरख यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह समारोह किस तारीख को और किस स्थान पर होगा ; और

(ग) इस समारोह में कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : अक्तूबर, 1966 में, भारत का चौथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, अत: विवरण अभी तैं नहीं किया गया है।

सेना की जीपें

3178. **श्री हनुमन्तराव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना की कितनी जीपों का निपटान अपेक्षित है ;

(ख) कितनी जीपों का निपटान अब तक किया जा चुका है तथा कितनी का निपटान शेष है ; और

(ग) इन जीपों के मूल्य निश्चित करने की क्या कसौटी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 6686 जीपों का निपटान करने की घोषणा की गई ।

(ख) 3544 जीपों का निपटान किया जा चुका है, और शेष 3142 का निपटान प्रतीक्षित है।

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5968/66।]**

Bomdilla-Tezpur Road

3179. **Shri Siddheshwar Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a decision was taken after the Chinese aggression to construct a metalled road from Bomdilla to Tezpur in North East Frontier Agency;

(b) if so, the progress made in its work so far; and

(c) the reasons for the delay, if any ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir. Decision to construct an all-weather road to Bomdilla from Tezpur via Charduar and Bhalukpong was taken in November, 1960.

(b) The surfaced road was thrown open to traffic on 1st February, 1964.

(c) Does not arise.

आकाशवाणी इंजीनियर

3181. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री हेम राज :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने आकाशवाणी इंजीनियरों ने विदेशों में टेलीविजन प्रशिक्षण प्राप्त किया ;

(ख) क्या वे इस समय टेलीविज़न एकक में काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) 13।

(ख) 8 और; कामों के साथ साथ, दिल्ली की वर्तमान टेलीविजन सेवा और टेलीविजन योजना एवं विकास के काम में लगे हुए हैं ।

(ग) आकाशवाणी में इस समय एक ही टेलीविज़न यूनिट है जो दिल्ली में है और इसमें थोड़े से पद हैं। अन्य योजनाएं अभी बन रही हैं। जब इन योजनाओं को चालू किया जाएगा तो प्रशिक्षित इंजीनियरों की सेवाओं का अधिक उपयोग किया जाएगा ।

आकाशवाणी में तकनीकी पद

3182. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** **श्री काशीराम गुप्त :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री हेम राज :**

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में उच्चतर तकनीकी पदालि के 1961 से अब तक कितने नये पद बनाये गये हैं ;

(ख) अभी कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ग) आकाशवाणी में निम्नतर तकनीकी पदालि कि कितने पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई है ; और

(घ) उन्हें रिक्त रखने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : 1-3-65 से 28-2-66 के वर्ष में आकाशवाणी में इंजीनियरी के प्रथम श्रेणी संवर्ग में 28 नए पद बनाए गए हैं। इनमें से, 1-3-66 को 10 पद खाली थे। इससे पहले की अवधि अर्थात 1-3-61 से 28-2-65 तक की अवधि के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) 1-3-66 को इंजीनियरी के निचले संवर्ग में अर्थात द्वितीय श्रेणी संवर्ग और इंजीनियरी सहायकों के तृतीय श्रेणी संवर्ग में 503 पद खाली थे ।

(घ) उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती में कठिनाई ।

दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें

3183. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** **श्री काशीराम गुप्त :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री हेम राज :**

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में तकनीकी कर्मचारियों के स्थायी बनाने के सम्बन्ध में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) स्थायी बनाने में विलम्ब के सम्बन्ध में तकनीकी कर्मचारियों से कितने अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ग) वेतन आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) आकाशवाणी (योजना और विकास यूनिट तथा प्रोजेक्ट सरकिलों को छोड़ कर) के उन अस्थायी पदों में से जो 1-4-60, 1-10-61 तथा 1-3-63 को तीन वर्ष से अधिक चले आ रहे थे और जिनकी स्थायी रूप से आवश्यकता थी, 80 प्रतिशत पद स्थायी घोषित कर दिये गये। जिनको 1-4-60 तथा 1-10-61 से स्थायी घोषित किया गया था उन पदों पर सुपात्र कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है। 1-3-63 से स्थायी घोषित पदों पर कर्मचारियों को स्थायी किये जाने का काम चालू है।

आकाशवाणी के योजना और विकास यूनिट तथा प्रोजेक्ट सरकिलों की भी 1-3-63 को जो स्थिति थी, उसकी समीक्षा की गयी और स्थायी किये गये पदों पर कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया। इनमें जो अस्थायी पद 3 वर्ष से अधिक थे और जिनकी स्थायी रूप से आवश्यकता थी, उनमें 50 प्रतिशत पद स्थायी किये गये, क्योंकि इन कार्यालयों के पदों की संख्या में घटी की गुंजाइश थी।

योजना और विकास यूनिट तथा प्रोजेक्ट सरकिलों में 1-3-65 के पदों तथा आकाशवाणी के अन्य कार्यालयों/केन्द्रों में 1-3-66 के पदों की पुनः समीक्षा की जा रही है।

(ख) 1960 से 14 अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एच०एफ०-24 जेट विमानों का उत्पादन

3184. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 22 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा पहिले की गई प्रार्थनाओं के अनुसार बंगलौर में एच०एफ०-24 (मैक-1) विमान के उत्पादन के लिये कोई अमरीकी सहायता या उसके लिये आश्वासन इस बीच मिला है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह समझती है कि इस सहायता के बिना काम नहीं चल सकता अथवा क्या अन्य उपायों की खोज की जा रही है ; और

(ग) एच०एफ०-24 (मैक-1) और मैक-2 विमान को देश में ही बनाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : एच० ए० एल० (बंगलौर डिवीज़न) में एच०एफ०-24 विमानों के निर्माण की दर बढ़ाने के लिए अभी तक यू० एस० सहायता प्राप्त नहीं हुई है। संयत्र और मशीनों की सप्लाई के लिए पहले की गई प्रार्थना के संबंध में यू० एस० अधिकारियों से फिर से बातचीत करने का विचार है।

(ग) एच०एफ०-24 मैक-1 विमान का विकास/उत्पादन प्रगतिशील है। एच०एफ०-24 के एक परिवर्तित रूप का विकास भी एच० ए० एल०, बंगलौर डिवीज़न में हस्तगत है।

परीक्षण रोक संधि का उल्लंघन

3185. **डा० राम मनोहर लोहिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मास्को परीक्षण रोक सन्धि का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते रूस द्वारा इस सन्धि के कथित उल्लंघन के बारे में अमरीका और रूस के बीच पिछले वर्ष विवाद के बारे में जानकारी रखी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने इस सन्धि का उल्लंघन किया था अथवा भूमिगत परीक्षण में कोई दोष था जिसके कारण रेडियो धर्मी तत्व उत्पन्न हुए ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) खबरों से ऐसा लगता है कि सोवियत संघ से विचार-विनिमय करने के बाद संयुक्त राज्य अमरीका इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सोवियत संघ ने 15 जनवरी 1965 को भूमि के नीचे जो परीक्षण किया था, उससे आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का उल्लंघन नहीं होता और एसा लगता है कि वातावरण में रेडियो-सक्रिय पदार्थ अकस्मात ही आ गए थे ।

आदिम जाति क्षेत्रों के लिए प्रसारण केन्द्र

3186. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत से प्रसारण केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जिसमें उपूसी और नागालैण्ड शामिल है, यदि कोई केन्द्र खोले जायेंगे तो कौन कौन से ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5969/66 ।]**

प्रतिरक्षा संस्थानों में कैंटीन कर्मचारी

3188. **श्री नारायण दास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिरक्षा संस्थानों की कैंटीनों के कर्मचारी संघ की ओर से कोई ज्ञापन-पत्र मिला है जिसमें कर्मचारियों ने अपनी शिकायतें रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : जी हां । रक्षा संस्थानों के कैण्टीन कर्मचारी-संघ की सूचिबद्ध शिकायतों पर सम्मिलित ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुई हैं । इनका निरीक्षण किया गया है, और संघ को उत्तर भेज दिया गया है । उनकी मांगें सरकार को मान्य नहीं हैं ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर प्रतिकर भत्ता

3189. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में भर्ती किये गये नये कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस भेदभाव को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) इंजीनियरी उद्योगों के औद्योगिक कार्मिकों को मकान किराया और नगर मुआवजा भत्ता की अदायगी, इंजीनियरी उद्योगों के उजरत बोर्ड द्वारा विचार के लिए एक विशिष्ट समस्या है, और निर्णय प्रतीक्षित है।

(ग) एच० ए० एल०, कानपुर के कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर मुआवजा भत्ते की अदायगी पर उजरत बोर्ड के निर्णय की प्राप्ति पर विचार किया जाएगा। तदपि एच० ए० एल० के कर्मचारियों के लिए, जिन्हें मकान प्राप्त नहीं हुआ, और जिनका वेतन 375 रुपये मासिक तक है, मकान के लिए एक तदर्थ मुआवजा भत्ता स्वीकार कर लिया गया है।

Attack on Hindus in Dahagram

3190. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a wanton attack was made by the Pakistani Police on the Hindus in Dahagram of Maikliganj on the 10th December, 1965; and

(b) if so, the action taken by Government for their protection ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) On the night of 4/5th December 1965 there was an incident of harassment of some Hindus in the Dahagram enclave of Pakistan.

(b) A protest was lodged with the Government of Pakistan who were urged to take remedial action.

पंजाब में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेट

3191. श्री दलजीत सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेटों (वरिष्ठ तथा कनिष्ठ डिवीज़नों के अलग अलग) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक डिवीजन में महिला कैडेटों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सभी स्कूलों तथा कालेजों में यह योजना अनिवार्य कर दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : 31 दिसम्बर, 1965 को पंजाब में एन० सी० सी० छात्रों की संख्या शक्ति इस प्रकार है :—

	वरिष्ठ डिवीजन एन० सी० सी०	कनिष्ठ डिवीजन एन० सी० सी०
एन० सी० सी० छात्रों की संख्या . .	71,600	49,500
एन० सी० सी० छात्राओं की संख्या . .	9,400	4,200

(ग) छूट दिए गए कुछ वर्गों के अतिरिक्त, कालिजों तथा विश्वविद्यालयों के सभी सशक्त शरीर पुरुष छात्रों के लिए एन० सी० सी० प्रशिक्षण अनिवार्य है। शेष के लिए यह स्वेच्छिक है।

Residential Accommodation for Army Personnel

3192. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a large number of military officers and other ranks are facing hardships for want of residential accommodation in Military cantonment areas ;

(b) whether they are allotted quarters meant for bachelors wherein families cannot reside ; and

(c) if so, the progress made in the construction of quarters in different cantonment areas ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) There is considerable shortage of married accommodation in cantonments.

(b) Officers who cannot be allotted married accommodation are given single accommodation.

(c) During the last two years, married quarters have been sanctioned and released for execution as follows :—

Officers	536
JCOs	272
ORs.	1565
NCsE	72

The construction plan for 1966-67 includes sanction and release of married accommodation as under :—

Officers	2014
JCOs	2393
ORS.	13412
NCsE	2223

A statement showing the cantonmentwise break-up will be laid on the table of the House as soon as information is collected.

रांची और दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र

3193. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची में इस समय लगे हुए ट्रान्समीटर के स्थान पर एक अधिक शक्तिशाली ट्रान्समीटर लगाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का सही स्वरूप क्या है;

(ग) क्या गंगा के उत्तरवर्ती क्षेत्रों तथा नेपाल के राज्य क्षेत्र में प्रभावशाली प्रसारण के हेतु दरभंगा में आकाशवाणी का एक केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) : जी, हां। आकाशवाणी की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में, जिसे अभी योजना आयोग को मंजूर करना है, रांची में एक उच्च शक्ति मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना है, जिससे प्रसारण का क्षेत्र और बढ़ सके।

(ग) तथा (घ) : जी, हां। उत्तर बिहार और उसके सीमाक्षेत्रों में प्रसारण के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में, दरभंगा में एक रेडियो केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

फिल्म वित्त निगम द्वारा ऋण

3194. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री 8 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुए निर्माताओं को उत्तम फिल्में तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के अतिरिक्त उन्हें अर्थसहायता देने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण, इस प्रस्ताव पर विचार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। परन्तु सरकार इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि, फिल्म निर्माताओं को ऊंचे दर्जे की फिल्में बनाने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जाए और ऐसी फिल्में बनाने में उन्हें हानि होने का जो डर रहता है, उससे किस प्रकार उनकी रक्षा की जाए। इस सम्बन्ध में निर्माताओं और फिल्मी कलाकारों से भी सुझाव मांगे गए हैं।

Ban On Indian Dailies by Burma

3195. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Burma have banned the publication of five dailies of Indian languages in their country; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. The publication of two Tamil, one Telugu and two Urdu dailies has been banned.

(b) Since the publication of all foreign language papers, except English, was banned by the Government of Burma with effect from 1st January, 1966, and there was no descrimination particularly against the five Indian language dailies, no action was considered necessary.

दूसरा अणुशक्ति केन्द्र, राजस्थान

3196. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में दूसरा अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने के मामले में कनाडा और भारत के बीच कोई नई कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : जी नहीं, बातचीत अभी जारी है ।

New Medals for Army Personnel

3197. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to institute two new medals for being awarded to the Indian Army personnel; and

(b) if so the outlines thereof ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). A proposal for the institution of new medals for the Armed Forces personnel is under consideration.

बम्बई स्थित अणुशक्ति आयोग के कार्यालय में आग लगना

3198. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री बागड़ी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 फरवरी, 1966 को बम्बई स्थित अणु शक्ति आयोग के कार्यालय में आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या थे;

(ग) इस घटना के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या कोई जांच करवाई गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) आग दुर्घटनावश लकड़ी की एक चक्कर दार सीढ़ी तथा छत पर बनी लकड़ी की एक छोटी बुर्जी में लगी तथा ऐसा मालूम होता है कि इसका कारण लापरवाही से धूम्रपान करना था ।

(ग) अग्नि से नष्ट होने वाला कुल सामान था रद्दी कागज का कुछ ढेर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लगभग 6 वर्दियां तथा लकड़ी के कुछ टुकड़े ।

(घ) जी हां, जांच का परिणाम यह निकला कि आग लापरवाही से धूम्रपान करने से हुई। ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनेक पग उठाये गए हैं।

भारत और जापान के बीच विचार-विमर्श के लिये बैठक

3199. श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मलाइछामी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री कोल्ला वेंकया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा जापान की सरकारों के बीच विचार-विमर्श सम्बन्धी प्रथम बैठक में भाग लेने के लिये जापान का एक प्रतिनिधिमंडल मार्च, 1966 में नई दिल्ली आया था ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई तथा बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस मीटिंग में बहुत-से अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार-विनिमय हुआ था। जिन विषयों पर चर्चा की गई, वे थे--दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशिया की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों और विशेषकर एशिया पर प्रभाव डालने वाले प्रश्नों पर दोनों देशों की अलग-अलग स्थिति, एटमी हथियारों का सवाल और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याएं। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने के तौर-तरीकों पर, खास तौर से सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अदान-प्रदान करने के विषय पर भी बातचीत की।

इस बातचीत से एक-दूसरे का दृष्टिकोण अच्छी तरह समझने और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में सहायता मिली है। यह तय पाया गया कि अधिकारियों की अगली बैठक इस वर्ष के अंत में किसी परस्पर सहमत तारीख को टोकियो में आयोजित की जाए।

प्रागा टूल्स लिमिटेड

3200. श्री यशपाल सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मार्च, 1966 को प्रागा टूल्स लिमिटेड के विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा में श्रम मंत्री द्वारा कही गई कुछ बातों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) उल्लिखित वक्तव्य के पश्चात् अब तक प्रागा टूल्ज लि० और संबंधित कर्मचारी-संघ के बीच, राज्य के मुख्य मंत्री और श्रम मन्त्री के सत्प्रभाव से एक समझौता तय हो चुका है।

प्रतिरक्षा सेनाओं के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण

3201. श्री हेम बरुआ : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के अनेक पदाधिकारी एक पद से दूसरे पद पर अपनी नियुक्ति करवा कर अथवा दिल्ली से बाहर बहुत थोड़ी अवधि बिताने के बाद अपने आप को पुन: दिल्ली में तैनात करवा कर दिल्ली में अपने कार्य-काल की तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी दिल्ली में रहने का प्रबन्ध कर लेते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों की निरन्तर वृद्धि होती जा रही है, जिनमें दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के आदेशों को सम्बन्धित पदाधिकारी किसी न किसी बहाने से सफलतापूर्वक टालते रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थानान्तरण के आदेशों को टालने की इस प्रथा को, जो कि अनुशासन तथा कुशल प्रशासन के प्रतिकूल है, रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं। दिल्ली में अफसरों के ठहरने की अवधि प्राय: तीन से पांच वर्ष तक की है, जबकि कुछ थोड़े से अफसरों को उनकी विशिष्ट अर्हताओं/ज्ञान/अनुभव, दिल्ली के बाहर उचित पद के उपयुक्त स्थानों के अभाव के कारण, नितान्त करुणापूर्ण परिस्थितियों के कारण तथा अफसरों के सेवा से विमुक्त होने का समय निकट आ जाने के कारण, अधिक समय के लिए भी रहने दिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Production of Television sets

3202. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some Japanese industrialists have submitted some proposals to the Government of India to establish television factories in India;

(b) whether they are also prepared to supply television sets at low cost; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas) : (a) and (b). No, Sir. No proposal has been received by this Ministry from any Japanese Industrialists for setting up of factories in India for the manufacture of television equipment or for the supply of television sets at low cost.

(c) Does not arise.

समुद्री डीजल इंजन उद्योग

3203. श्री बालकृष्णन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त सहयोग से मद्रास में समुद्री डीजल इंजन उद्योग आरम्भ करने के लिये जापान की एक फर्म के साथ कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) रक्षा मंत्रालय ने मद्रास में मेरीन डीज़ल इंजन फैक्ट्री चलाने के लिए किसी जापानी फर्म के साथ कोई करार तय नहीं किया है। मेरीन डीज़ल इंजनों का उत्पादन करने के लिये पश्चिमी जर्मनी के मेसर्स एम० ए० एन० से एक करार पहले से तय पाया हुआ है। स्थान के संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Staff Artistes of A.I.R.

3204. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total amount paid as salary to staff artistes of All-India Radio during 1963-64;

(b) the total amount paid to them during 1965-66 as pay consequent on payment of allowances to them like other Government employees;

(c) the increase in this amount as well as in the number of staff artistes; and

(d) the head under which the payment of this additional amount would fall ?

The Minister for Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): The renumeration paid to Staff Artistes in All India Radio is termed as 'fee'. The information in parts (a) & (b) below has been given accordingly :—

(a)	. . .	Rs. 56,46,452
(b)	. . . . .	Rs. 88,49,573
(c)	Increase in amount	Rs. 32,03,121
	Increase in number of Staff Artistes . . .	185
(d)	. . . . .	"Allowances to Artistes".

पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले विस्थापित व्यक्ति

3205. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि पूर्वी पाकिस्तान से केवल उन विस्थापित व्यक्तियों को भारत आने दिया जाय, जिनके पास यात्रा संबंधी वैध कागजात हों ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ग) तीन वर्ष पहले नवीन निष्क्रमण आरम्भ होने से अब तक पूर्वी पाकिस्तान से कुल कितने व्यक्ति आये हैं ; और

(घ) स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से अब तक भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कुल कितने अधिक विस्थापित व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने यह फैसला किया था कि 1 अप्रैल 1965 से पूर्व पाकिस्तान से भारत में केवल वे लोग प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास वैध यात्रा पत्र होंगे।

(ग) जनवरी 1964 में पूर्व पाकिस्तान से जिन लोगों का निष्क्रमण शुरू हुआ, उनकी कुल संख्या फरवरी, 1966 के अंत तक 8,01,878 है।

(घ) आज़ादी के बाद भारत से जो लोग पाकिस्तान गए, उनके मुकाबले में कुल मिलाकर 30,82,166 अधिक विस्थापित व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आये है।

नेपाल, भूटान तथा सिक्किम में जाने के लिये पासपोर्ट

3206. श्री लखमू भवानी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी यात्रा पर नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम जाने के लिये भारतीय राष्ट्रजनों को पासपोर्ट लेने की आवश्यकता होती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को अघातक (नान-लीथल) सैनिक सामान की सप्लाई

3207. श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मौर्य :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बसुमतारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को फिर से "अघातक" (नान-लीथल) सैनिक सामान की सप्लाई करने के निर्णय के बारे में अमरीका से स्पष्टीकरण मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई उत्तर मिला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : यू० एस० सरकार से कोई औपचारिक बातचीत नहीं की गई है, तदपि हमें यू० एस० अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तान को जंगी हथियार नहीं दिये जा रहे।

पाकिस्तान में चीनी प्रक्षेपणास्त्र (मिसाइल) अड्डे

3208. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन को पूर्वी पाकिस्तान में मिसाइल अड्डे बनाने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार को इस बारे में कोई सूचना है कि चीन को पूर्वी पाकिस्तान में मिसाइल अड्डे बनाने की अनुमति दे दी गई है।

राष्ट्रीय छात्रसेना दल के कडेटों द्वारा सैनिक अभिवादन (गार्ड आफ आनर)

3209. श्री चांडक :
श्री वाडीवा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 14 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2082 के उत्तर के सम्बन्ध में उन वर्तमान आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिनमें उन विभिन्न विशिष्ट माननीय व्यक्तियों के पदनाम दिये गये हैं, जिनका राष्ट्रीय छात्रसेना दल द्वारा सैनिक अभिवादन किया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : 'एन० सी० सी० द्वारा मान-गारद' के उपबन्ध के विषय में वर्तमान आदेशों की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। दखिये संख्या एल० टी० 5970/66]**

Acquisition of Land in Chamraval Village

3210. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that there has been a time lag of more than six months in the requisition and acquisition of land in the Chamraval village;

(b) if so, whether no compensation is required to be paid in respect of the said period;

(c) whether it is a fact that consolidation arrangements of the land in Chamraval village had been completed before the requisition was made;

(d) if so, the measures to be adopted by Government to rehabilitate the people whose entire land has been acquired;

(e) the reasons for not paying the compensation for the crops and causing delay in the payment of compensation for the lands;

(f) whether it is a fact that Government are realising land revenue even now from the people of the said village whose lands have been acquired;

(g) if so, whether Government propose to stop collection of land revenue for that land and refund to them the amount already realised; and

(h) whether it is also a fact that the due period to pay compensation *i.e.*, six weeks is about to expire, and yet the farmers have not so far been informed about the rate of compensatton ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) About 180 acres of land in village Chamraval, in Meerut District which were requisitioned on 8th November 1964, for an Air Force Project, were acquired on 28th March, 1965. The land thus remaincd under requisition for 4 months and 20 days.

(b) The land Acquisition Officer, Meerut who is the statutory authority for the assessment of compensation, has held that no rent is payable for the period the land remained under requisition, since the period was short and the land was acquired soon afterwards. The remedy of parties aggrieved, is to seek reference to an Arbitrator in accordance with law. Government also propose to move the Land Acquisition Officer.

(c) We are not aware whether such arrangements were made by the State Government before the land was requisitioned.

(d) The liability of Government is to pay compensation with which the owners can rehabilitate themselves.

(e) No compensation is due to the cultivators for their crops as they were allowed to harvest the same before possession of the land was taken over. The compensation for the land is assessed by the Land Acquisition Officer in association with the representative of the Government of India on the basis of sale statistics of similar lands in the vicinity. The process takes some time. The compensation payable to the landowners amounting to Rs. 3,62,520·45 has since been finalised and accepted by Government of India. The Land Acquisition Officer, Meerut, has also been advised to disburse the the compensation to the landowners.

(f) and (g). The collection of land revenue from the cultivators is done by by the State Government and the Government of India are not aware whether the same are still being realised. No land revenue is payable by the cultivators from the 28th March, 1965, when the land was acquired. If any land revenue has been paid by the cultivators, they should approach the State Government for refund.

(h) There is no provision in law stipulating the period by which the compensation must be paid to the cultivators. The compensation is however assessed and disbursed as expeditiously as possible. The parties interested can obtain copies of the Award from the Land Acquisition Officer.

ताशकन्द समझौता

3211. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताशकन्द समझौते को संयुक्त राष्ट्रसंघ में एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में दर्ज करा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। ताशकन्द घोषणा 22 मार्च 1966 को संयुक्त राष्ट्र में रजिस्टर हो गई है।

(ख) चूंकि ताशकंद घोषणा में भारत और पाकिस्तान को आबद्ध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लेख किया गया है, इसलिये यह एक कानूनी दस्तावेज है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 102 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत इसे संयुक्त राष्ट्र में रजिस्टर किया गया है।

Safety of Journalists

3213. Shri Siddheshwar Prasad : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Journalists Union has requested the Prime Minister to take necessary steps for the safety of the journalists in view of the bad treatment meted out to them in Punjab and Delhi during the recent disturbances; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b). Government have received a copy of the resolution passed by Delhi Union of Journalists. A copy of the said resolution is enclosed. The matter is under consideration of Government.

Resolution

The Delhi Union of Journalists is shocked at the recent unfortunate incidents in which some political parties and their supporters in utter disregard to normal human behaviour and sense of decency not only intimidated news photographers, cartoonists and reporters, but went to the henious extent of burning alive Mr. Kranti Kumar, a correspondent of the Tribune.

In Delhi, a mob which held an agitation in support of the demands of a particular political party manhandled, abused and damaged the cameras of four news photographers although they had disclosed their identities and told the leaders of the mob that they worked for well-known national English dailies.

The Delhi Union of Journalists strongly condemns the misbehaviour and hooliganism by such people and demands that the Government devise suitable regulations to ensure that political parties do not violate the freedom of the press. Such acts should be made punishable by law.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कुछ निरुद्ध सदस्यों का स्वास्थ्य—(जारी)

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डा० सारादीश राय मामूली तौर पर बीमार हैं परन्तु उनके सामान्य स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता की कोइ बात नहीं है। जनवरी, 1965 में जब वह पुरुलिया जेल में थे तो उन्होंने जोड़ो की दर्द की शिकायत की थी। तब उन्हें 6 जून, 1965 को और अच्छे उपचार के लिये मिदनापुर सेन्ट्रल जेल में भेज दिया गया था। वहां उनके घुटनों में दर्द शुरू हो गई। उनके दोनों घुटनों का एक्स रे लिया गया परन्तु कोई बीमारी न निकली। इसके बाद उन्होंने छाती के दर्द, भारीपन तथा दिल की धड़कन की शिकायत की। मिदनापुर अस्पताल में उनकी छाती का एक्सरे लिया गया तथा अन्य जांच की गई और उनको डमडम सेन्ट्रल जेल में भेज दिया गया। वहां पर उनके स्वास्थ्य की और जांच की गई। इसके अलावा उनका "इलैक्ट्रो कारडियोग्राम" भी किया गया। परन्तु उनके स्वास्थ्य में कोई कमी न पाई गई। उनका अब 'इन्फ्रा रेड' उपचार भी किया जा रहा है और उन्हें अब कोई दर्द की शिकायत नहीं है।

[श्री पु० शे० नास्कर]

ऐसा बताया गया है कि श्री नीरेन घोष को पुराना पायरिया है। इसके लिये दांत विशेषज्ञ उनका उपचार कर रहे हैं। उनके दांयें पांव पर चर्मरोग भी है। इसके लिये भी उनका आवश्यक उपचार किया जा रहा है। इन रोगों को छोड़कर उनका सामान्य स्वास्थ्य सन्तोषजनक है।

श्री दशरथ देब को, जो कि आजकल डुमका जेल, बिहार में हैं, 30 मार्च, 1965 को त्रिपुरा सरकार के आदेशानुसार नज़रबन्द किया गया था। उनका "साइटिक नर्व सिन्ड्रोम" रोग के लिये विशेष उपचार किया जा रहा है। उससे कभी कभी पीट में दर्द हो जाता है। उनका वजन नौ पौंड बढ़ गया है।

श्री बीरेन दत्त के बीमार होने की कोई खबर नहीं आई है। उनका स्वास्थ्य सामान्य है। उनके वजन भी उतना ही रहा है जितना पहले था।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सम्बन्धित राज्य सरकारों ने मामूली सी शिकायत पर भी नज़रबन्द व्यक्तियों के स्वास्थ्य की अच्छे से अच्छे डाक्टर से जांच कराई है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री के वक्तव्य से पता चलता है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नज़रबन्द किये गये व्यक्तियों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। पहले भी अस्पताल ले जाते समय श्री परुलेकर की मृत्यु हो गई थी। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार उन नज़रबन्द व्यक्तियों को रिहा करने का है अथवा नहीं तथा क्या उनके जीते जीते न्यायालयों में मुकदमे चलाये जायेंगे अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो भाषण देने लग गये है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री परुलेकर की इस तरह से मृत्यु हो गई थी।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस बात का उत्तर देना चाहिये कि क्या नज़रबन्द व्यक्तियों को रिहा किया जायेगा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : नज़रबन्द व्यक्तियों के स्वास्थ्य के बारे में नियम सन्तोषजनक हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर उन के बारे में विचार करने के लिये कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार ने उन्हें रिहा करने का निर्णय कर लिया है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो तार मुझे मिला है उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने की अनुमति दी जाये। यह तार मुझे तथा चार अन्य सदस्यों को जिन्होंने 30 मार्च को हुई घटनाओं पर चर्चा करने के लिये सभा का गुप्त सत्र बुलाने की मांग की थी उनको, हिन्द मजदूर पंचायत के महासचिव, श्री जार्ज फरनेंडीज ने भेजा है। मैंने जो नोटिस दिया था उसका बस्तर की घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं था। उस दिन की घटनाओं से सारा देश चिन्तित था। इस तार में बहुत अनादरपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। इस में यहां तक कहा गया है कि "यदि आप ने संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों पर इस प्रकार आक्षेप जारी रखा तो आपको जनता के गुस्से का सामना करना होगा।" उसमें यह भी कहा गया है कि "बस्तर के हत्यारों पर खुली चर्चा करके लोक सभा की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहिये।" ये ऐसी बातें हैं जिन से सदस्य सामान्य रूप से अपना कार्य नहीं कर सकते। इन बातों से विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी एक ऐसा ही तार मिली है। उसकी भाषा भी ऐसी ही है। उसमें कुछ सदस्यों के सभा के गुप्त अधिवेशन बुलाने के सुझाव को "जनता के तथाकथित प्रतिनिधियों का मानसिक पतन" कहा गया है। उसमें यह भी लिखा है कि "संसद को मानवीय जीवन की गरिमा की रक्षा करना सीखना चाहिये।"

मुझे भी यह तार श्री जार्ज फरनेंडीज ने भेजा है।

श्री दाजी (इन्दौर) **:** महोदय, संभवतया मैं इस समय सदन के भावों के विपरीत बोल रहा हूं। तार में जो शब्द आदि लिखे हैं वह अनुचित हैं। परन्तु हमारा इससे इतना ही सम्बन्ध है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। केवल एक ही वाक्य ऐसा है जिसे आप कह सकते हैं कि विशेषाधिकार का इस से दूर का संबंध हो सकता है और वह है "कि जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा"। इसका अर्थ श्री हेडा अथवा सभा के किसी सदस्य को धमकी नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार के मामलों को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करके हम ऐसे तारों को अनुचित महत्व दे रहे हैं। इसलिये इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिये।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि इस प्रकार के तार आपत्तिजनक हैं। यह मामला और भी गंभीर हो जाता है यदि किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने इस प्रकार का तार भेजा हो जैसे कि श्री जार्ज फर्नेन्डीज। नियमों के अनुसार यदि अध्यक्ष महोदय की यह तसल्ली हो जावे कि विशेषाधिकार का प्रथमतया उल्लंघन हुआ है तो मामला सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। इस बात की जांच भी समिति स्वयं कर लेगी कि विशेषाधिकार का उल्लंघन भी हुआ है अथवा नहीं।

इसलिये मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि यह दोनों तार विशेषाधिकार समिति को सौंपे जायें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं श्री दाजी के इस कथन से सहमत हूं कि ऐसे तारों को घृणा की दृष्टि से देखा जाये। साथ ही संसद् को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि लोगों को ऐसी आदत ही न पड़ जाये। तारों में विशेषाधिकार के उल्लंघन का पर्याप्त आधार है। विशेषाधिकार समिति को इस मामले पर विचार करना चाहिये तथा अपना निर्णय देना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : अच्छा तो यह होता कि इन तारों को यहां पढ़ा ही नहीं जाता। यह मूर्खता के तार हैं। तारों की भाषा से यह स्पष्ट है कि उन लोगों को जो संसद् सदस्य के रूप में यहां है उनका प्रथम दृष्ट्या अवमान का मामला है। क्योंकि इस से हम सब को जो यहां कार्य करते हैं डराया गया है, इस लिये यह विशेषाधिकार का मामला है और इसे विशेषाधिकार समिति को अवश्य सौंपा जाये ताकि वह इस पर विचार करे और निर्णय ले।

Shri Bagri (Hissar) : India is a democratic country where everyone has a right to express his views. If some one is angry in expressing their views, it does not mean that we take a hasty action in anger. We should ponder over the fact as to why such things were expressed. In the present case the genesis is the sad happenings in Bastar which caused anger in the public. As the aim of Parliament is not to punish but to point out the faults, the purpose would be best served if a discussion is held on Bastar.

Shri Maurya (Aligarh) : In the eyes of law telegram has no meaning. Has it been ascertained than the telegram was sent by the person himself to whom it is being attributed ? Has some letter also come to your notice ? Mere telegram has no meaning in the eyes of law.

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपके द्वारा इन तारों के पढ़े जाने के पश्चात् इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं। यदि यह प्रथम दृष्ट्या मामला है तो इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज देना चाहिये। मैं भी इस बात से सहमत हूं। बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे और इसकी रिपोर्ट सभा के सामने रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि इसमें किसी जांच की आवश्यकता है। पता लगाना है कि उसी व्यक्ति ने यह तार भेजे हैं जिसका नाम लिया जा रहा है। उस व्यक्ति को बुलाया भी जा सकता है। इसलिये मैं इन तारों को विशेषाधिकार समिति के पास भेज रहा हूं ताकि वह जांच करे कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम 1966

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : महोदय, श्री अलगेसन की ओर से मैं तेल क्षेत्र (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 19 मार्च 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 371 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5964/66।**]

भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5965/66।**]

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनों के बारें में वक्तव्य
STATEMENT RE : SALARIES OF UNIVERSITY TEACHERS

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गयी सिफ़ारिशों को स्वीकार करने का निश्चय किया है, और यह भी निश्चय किया है कि इन सिफारिशों को पहली अप्रैल, 1966 से लागू करने के लिये राज्य सरकारों को विशेष सहायता दी जाय। केन्द्रीय सरकार यह सहायता पांच वर्ष के लिये देगी। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के संबंध में केन्द्रीय सहायता का प्रकार वही होगा जोकि पहली दो योजनाओं में रहा है, अर्थात् अतिरिक्त खर्च का 80 प्रतिशत। यह निश्चय किया गया है कि महाविद्यालयों के अध्यापकों संबंधी स्कीम भी इसी प्रकार से हो। पहले पुरुषों के महाविद्यालयों के लिये केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत और महिलाओं के विद्यालयों के लिये 75 प्रतिशत रही है।

महाविद्यालयों के अध्यापकों के संबंध में केन्द्र द्वारा बढ़ाई गयी सहायता से राज्य सरकारें इस योग्य हो जानी चाहिये कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशों को सभी संबद्ध महाविद्यालयों में एक रूप से लागू कर सकें चाहे वे महाविद्यालय सरकारी हों अथवा निजी संस्थाओं के हों। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को खर्च का पूरे का पूरा बकाया स्वयं वहन करना होगा और वे इस खर्च का कोई भी अंश प्राइवेट कालेजों के मैनेजमेंट पर नहीं डालेंगे। इस व्यवस्था से राज्य सरकारों पर जो अतिरिक्त खर्च पड़ेगा वह पहले खर्चे से कम होगा। पहली दो योजनाओं के अनुभव से पता चलता है कि प्राइवेट कालेज अध्यापकों की वेतनमानों की बढ़ौतरी के लिये वित्तीय दायित्व नहीं ले सकते हैं और इस का परिणाम यह हुआ है कि बहुत से कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमानों को नहीं अपना सके हैं।

राज्य सरकारों को यह आश्वासन देना पड़ेगा कि पांच साल की अवधि के अन्त में इस स्कीम के अतिरिक्त खर्च का सारा भार वे वहन करेंगी।

संशोधित वेतनमानों को लागू करने के संबंध में जो विस्तृत तरीके अपनाने हैं उनके बारे में विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक है और इस संबंध में जल्दी ही कदम उठाए जाएंगे।

श्री वासुदेवन् नायर (अम्बलपुजा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक तो इस प्रकार की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया फिर अब क्या गारंटी है कि राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय इन्हें मान लेंगे ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैंने बताया इस योजना के अनुसार राज्य सरकारों पर कम बोझा पड़ेगा। इसमें 80 प्रतिशत तो हम देंगे और 20 प्रतिशत राज्य सरकार। मुझे आशा है कि इतना तो राज्य सरकार कर पायेंगी।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : क्या सरकार उन व्यक्तियों का भी ध्यान रखेगी जो वेतन वृद्धि की अधिकतम दर पर रुके हुए हैं ताकि उन्हें अधिक वेतन वृद्धि मिल सके ?

श्री मु० क० चागला : ऐसी बातों को विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय तथा कालिजों से मिलकर निबटाया जायेगा।

श्री बैरो (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मंत्री महोदय ने कहा है कि 5 वर्ष पश्चात् अदायगी की जिम्मेदारी राज्यों पर होगी। मैं जानना चाहता हूं कि कितने राज्य सरकार ऐसा करने को तैयार हैं ?

श्री मु० क० चागला : केन्द्र तो पांच वर्ष तक देगा और बाद में राज्य सरकारें देंगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Have the State Chief Ministers also been consulted about it ? If so, whether a similar decision regarding the salaries of High School teachers is also under consideration ?

श्री मु० क० चागला : प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यह उच्च शिक्षा की स्थिति से भिन्न है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : क्या सरकार कुछ ऐसे पग उठायेगी जिस से राज्य सरकारों के लिये यह आवश्यक हो जाये कि पांच वर्ष बाद वह स्वयं म खर्च को पूरा करें ?

श्री मु० क० चागला : पश्चिमी बंगाल सरकार ने तो यह बात मान ली है। मुझे आशा है कि अन्य राज्य सरकारें भी इसे मान लेंगी।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : क्या कोई इस प्रकार की योजना विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापक कर्मचारियों के लिये बनाई गई है?

श्री मु० क० चागला : हम ने अभी उनके बारे में विचार नहीं किया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय पिछले कुछ दिन पूर्व कलकत्ते में अध्यापकों से बात कर रहे थे। क्या इस घोषणा के पश्चात वह बहिष्कार आन्दोलन वापिस लेने को राजी हो गये हैं?

श्री मु० क० चागला : मैंने निर्णय के बारे में तो उन्हें कुछ नहीं बताया परन्तु अब क्योंकि यह बात मान ली गई है वह अपने आन्दोलन को वापिस ले लेंगे।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : क्या शिक्षा मंत्रालय ने इस बात का अनमान लगाया है कि यह 80 प्रतिशत धन किस प्रकार व्यय होगा?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझावों के अन्सार पांच वर्षों में 27.50 करोड़ रुपया व्यय होगा। इसमें से हमारा भाग पांच वर्षों के लिये 22 करोड़ रुपया होगा और राज्यों का पांच वर्ष के लिये 5 करोड़ रुपया और यह खर्च भी 16 राज्यों में बांटा जावेगा।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : क्या यह अच्छा नहीं होगा कि सरकार पहले कुछ वर्ष निर्धारित कर दे और बाद में इस योजना को कार्यान्वित करके अन्य राज्यों से परामर्ष कर ले?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है।

समितियों के लियें चुनाव
ELECTIONS TO COMMITTEES

राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं श्री यशवंतराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रीय छात्र-सेना दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, 1 जून, 1966 से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिये, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, राष्ट्रीय छात्र-सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रीय छात्र-सेना दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, 1 जून, 1966 से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिये, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, राष्ट्रीय

छात्रसेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

न्यायाधीश (जांच) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री अकबर अली खां, जी० एस० पाठक और के० के० शाह के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 1964 सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिए राज्य-सभा के तीन सदस्यों को नियुक्त करें और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा सर्वश्री अकबर अली खां, जी० एस० पाठक और के० के० शाह के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 1964 सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिये राज्य-सभा के तीन सदस्यों को नियुक्त करें और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

दिल्ली प्रशासन विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्री एल० एन० मिश्र और कुमारी शान्ता वशिष्ठ के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण दिल्ली प्रशासन विधेयक, 1965 सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिये राज्य-सभा के दो सदस्यों को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्री एल० एन० मिश्र और कुमारी शांता वशिष्ठ के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण दिल्ली प्रशासन विधेयक, 1965 सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिये राज्य-सभा के दो सदस्यों को नियुक्त करे और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

पेटेंट्स (एकस्व) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा सर्वश्री अर्जुन अरोड़ा, टी० चेंगलवरायन, राजपत सिंह दुगड़, श्यामनन्दन मिश्र, एम० आर० शेरवानी

[श्री कृष्णमूर्ति राव]

और आर० पी० सिन्हा के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण पेटेंट्स (एकस्व) विधेयक, 1965 सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिये राज्य-सभा के छः सदस्यों को नियुक्त करे और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा सर्वश्री अर्जुन अरोड़ा, टी० चेंगलवरायन, राजपत सिंह दुगड़, श्यामनन्दन मिश्र, एम० आर० शेरवानी और आर० पी० सिन्हा के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण पेटेंट्स (एकस्व) विधेयक, 1965 सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिये राज्य-सभा के छः सदस्यों को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री गो० ना० दीक्षित : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्रीमती शारदा भार्गव, सर्वश्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी और लोकनाथ मिश्र के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिए अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य-सभा के तीन सदस्यों को चुने और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्रीमती शारदा भार्गव, सर्वश्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी और लोकनाथ मिश्र के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिये अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य-सभा के तीन सदस्यों को चुने और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक
DELHI HIGH COURT BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय को और आगे बढाना

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र पर उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तारण तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय को और आगे बढ़ा कर 18 अप्रैल, 1966 तक कर दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र पर उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तारण तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय को और आगे बढ़ा कर 18 अप्रैल, 1966 तक कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ /*The motion was adopted.*

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

विधि मंत्रालय—जारी

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : पिछली बार मैं चुनाव कानून में परिवर्तन के बारे में बात कर रहा था।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

चुनाव याचिकाओं को उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाया जाना चाहिये और चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त किया जाना चाहिये जो आलोचना हुई है उसे भी मैं स्वीकार करता हूं।

यदि चुनाव याचिकाओं को उच्च न्यायालय निपटा दे तो फिर विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठेगा क्योंकि वह न्यायालय स्वंय ही चुनाव याचिकाओं पर विचार करेगा।

यह प्रश्न कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को इसे निपटाना चाहिये अथवा दो को, तो इस सम्बन्ध में उस समय विचार होगा कि जब इस प्रकार का विधेयक सभा के सामने आयेगा। परन्तु यह तो सविस्तार के मामले हैं।

इस बात की भी आलोचना हुई है कि उच्च न्यायालय के निवृत्त हुए न्यायाधीशों को चुनाव न्यायाधीकरणों पर नियुक्त न किया जाये। इनका इलाज तो चुनाव सम्बन्धी नैतिकता तथा जनता की शिक्षा को विकसित करना है। क्योंकि चुनाव याचिकाओं द्वारा चुनावों की नैतिकता का पता चलता है। साथ ही विधायकों को चाहिये कि इन मामलों में कुछ ऊंचे स्तर कायम करें।

मैं भाषा आयोग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। भाषा आयोग के बारे में यह आलोचना की जा रही है कि इसका कार्य धीमी गति से चल रहा है और पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। भाषा आयोग के लिये विचारार्थ विषयों को विशेष रूप से उल्लिखित कर दिया गया है। केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया जायेगा। केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में भी अनुवाद किया जायेगा। जो अधिनियम प्रादेशिक भाषाओं में हैं उनका हिन्दी में भी अनुवाद किया जायेगा। यह इस आयोग का कार्यक्रम है। यह समझना चाहिये कि प्रारम्भ में थोड़ा विलम्ब जरूरी है क्योंकि कार्य आरंभ करने से पहले कुछ प्राथमिक कार्यवाहियां करनी होती है। अनुवाद के बाद राज्यों से परामर्श किया गया था और जैसे जैसे कार्य का अनुभव हुआ है अब पहले की अपेक्षा कार्य की गति भी बढ़ने लगी है। भाषा

[श्री गोपाल स्वरुप पाठक]

आयोग ने अनेक अधिनियमों का अनुवाद तथा एक शब्द संग्रह भी प्रकाशित किया है। हमारा विचार है कि आयोग को पुनर्गठित किया जाये और आशा है कि भविष्य में यह आयोग अच्छी प्रगति करेगा।

अब मैं विधि आयोग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। विधि आयोग के संबंध में जो आलोचना की गई है मैं उसे समझता हूं। विधि आयोग ने अब तक 29 रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। अन्तिम रिपोर्ट सामाजिक-आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में है। इस रिपोर्ट के तैयार करने के लिये 70 से अधिक केन्द्रीय अधिनियमों उनसे सम्बन्धित निर्णय विधि तथा विदेशीं कानूनों का अध्ययन किया गया था। जब सभा इस रिपोर्ट पर विचार करेगी तो सभा को ज्ञात हो जायेगा कि यह बहुत ही रोचक तथा उपयोगी रिपोर्ट है। इस में उन अपराधों पर विचार किया गया है जो देश के आर्थिक विकास में बाधक हैं। अत: विधि आयोग बहुत ही उपयोगी कार्य कर रहा है। हम इस के कार्य करने के ढंग में और सुधार करेंगे परन्तु यह कहना गलत है कि विधि आयोग पर्याप्त अथवा उपयोगी कार्य नहीं कर रहा है।

श्री नि० चं० चटर्जी ने ठीक ही कहा था कि कुछ समय पूर्व गरीब लोगों को मुकदमा चलने के लिये आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में एक योजना बनाई गई थी। इस योजना को कार्यन्वित करने के मामले में आर्थिक कठिनाइयां रही हैं। निम्न स्तर पर न्याय कि व्यवस्था राज्यों का विषय है। अत: हमें उनकी सहायता लेनी पड़ी है। राज्य सरकार आर्थिक सहायता मांगती हैं। अत: गरीबों की सहायता के लिये इस योजना को कार्यन्वित करने में आर्थिक कठिनाई रही है।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि कई स्थानों में बार एसोसियेशन ने गरीबों को स्वैच्छिक सहायता देने का निर्णय किया है। उच्चतम न्यायालय की बार एसोसिएशन ने एक समिति बनाई हुई है जो गरीबों को मुकदमा चलाने में सहायता देती है। वहां कुछ वरिष्ठ वकील गरीब लोगों के मुकदमों की नि:शुल्क पैरवी हैं। यदि इस प्रकार स्वैच्छिक सहायता को बढावा दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

यह कहना गलत है कि हमारा कानून वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार नहीं बदला है। अधिनियमों को देखने से ज्ञात होगा कि विधि को सामाजिक रूप दिया जा रहा है। सम्पत्ति के बारे में जो संकल्पना कुछ वर्षों पूर्व थी वह आज नहीं है। इस में कोई संदेह नहीं है कि विधि को सामाजिक रूप नहीं दिया जा रहा है।

कानूनों के सरलीकरण के सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि कानून राष्ट्रीय जीवन का दर्पण है। जैसे जैसे जीवन जटिल होता जा रहा है, कानून भी जटिल होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिये हमने आय कर कानून को सरल बनाने की बहुत कोशिश की है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वह सरल हो गया है क्योंकि कर-समाहर्ता तथा कर-वंचक में एक प्रकार की होड़ रहती है।

निर्वाचन के समय बहुत अधिक खर्चा न किया जाये इस लक्ष्य को लेकर एक विधेयक पेश किया जायेगा परन्तु मैं यह कहना उचित समझता हूं कि कुछ मामलों का सुधार कानून द्वारा नहीं बल्कि जनता के नैतिक विकास के द्वारा ही किया जा सकता है। निर्वाचन के समय जो व्यय होता है उस सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है।

जहां तक प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर विधि मंत्रियों के सम्मेलनों में अनेक बार विचार किया है। कुछ कठिनाइयों हैं जिनको दूर किया जाना है। उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायलय के लेख (रिट) क्षेत्राधिकार द्वारा लोगों को बड़ी राहत मिली है और बहुत सी त्रुटियों की शुद्धि हुई है यद्यपि क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह कार्य विधि मंत्रालय करे। मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दे चुका हूं। कठिनाई यह है कि यह विषय विधि मंत्री से सम्बन्ध नहीं रखता। यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। अतः मैं इस मामले में कोई कार्यवाही करने के लिये लाचार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कटौती प्रस्ताव संख्या 14 से 19 तक मतदान के लिये रखे जायेंगे।

सब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*The cut motions were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई।/*The following Demands in respect of Ministry of Law were put and adopted:*

क्रम संख्या	मांग संख्या	शीर्षक	राशि
			रुपये
1	75	विधि मंत्रालय	59,55,000
2	76	निर्वाचन	2,82,53,000
3	77	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	39,46,000

संसद् कार्य विभाग

उपाध्यक्ष महोदय : अब संसद् कार्य विभाग की मांगों पर विचार होगा। निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की गई :

क्रम संख्या	मांग संख्या	शीर्षक	राशि
			रुपये
1	105	संसद् कार्य विभाग . .	4,13,000

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : संसद् कार्य विभाग की रिपोर्ट में पृष्ट 1 में दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अन्तर्गत विभाग के 16 कार्य हैं। इस विभाग के कृत्यों के महत्व को देखते हुए यह उचित जान पड़ता है कि इस विभाग को पूरे मंत्रालय का स्तर दिया जाना चाहिये। इन सब में से 16 वीं मद जो संसद् सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों से सम्बन्धित है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत माननीय मंत्री को अप्रत्यक्ष रुप से सभा के सदस्यों तथा दलों की भावदशा, स्वभाव तथा अवचेतन अभिवृत्ति को प्रभावित करना तथा उनका निर्माण करना होता है। इस कार्य में माननीय मंत्री को बड़ी सफलता हुई है।

सभा में कभी कभी इस प्रकार की अन्तर्बाधाएं होती है कि यदि कोई माननीय सदस्य अपने विचार सभा के सामने रखना चाहते है और जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार है, तो वह इस प्रकार की अर्न्तबाधाओं के कारण अपना भाषण पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार की एक घटना तो अप्रैल 1965 में हुई थी जब श्री फ्रंक एन्थनी अर्न्तबाधाओं के कारण कलकत्ता में हुई घटना के बारे में नहीं बोल सके।

[श्री कपूर सिंह]

श्री बदरुद्दुजा भी सभा में अपने विचार नहीं व्यक्त कर सके थे। पिछले वर्ष श्री मसानी जो मेरे दल के सचिव हैं, पेटरसन की पुस्तक "दिल्ली टू पीकिंग" के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाये थे। अभी हाल में, मेरे साथ भी ऐसी ही घटना हुई है। इस सम्बन्ध में जोन मिल का यह विचार कि "पूरी मानवता को भी यह अधिकार नहीं है कि विसम्मत व्यक्ति को चुप करे", यहां बड़ी अच्छी प्रकार से लागू होता है। माननीय मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभा में सदस्यों के वाक् स्वातन्त्र्य में किसी प्रकार कमी न आये।

रिपोर्ट में 35,36 तथा 37 कंडिकाओं में कहा गया है कि संसद् सदस्यों के 9 प्रतिनिधि मण्डल विदेशों में भेजे गये थे। इन में प्रधान मंत्री के 7 प्रतिनिधि मण्डल भी शामिल हैं। जो भारत-पाक संघर्ष के सम्बन्ध में भेजे गये थे। इन प्रतिनिधि मण्डलों में मेरे दल का एक भी प्रतिनिधि नहीं शामिल किया गया था यद्यपि मेरा दल एक प्रधान और प्रमुख प्रतिपक्षी दल है।

इसराइल अन्तर्संसदीय संघ का सदस्य है। भारत भी इस संघ का सदस्य है। मैं नहीं समझ सकता कि हमने अभी तक इसराइल को मान्यता क्यों नहीं दी है। इसराइल भी हमारी तरह संसदीय सरकार में विश्वास रखता है। अभी हाल में इसराइल की संसद् के दो सदस्य यहां आये हुए हैं। माननीय मंत्री को चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि इस सभा के सदस्य अनौपचारिक रूप से उन से मिल सकें।

Shri R. S. Pandey (Guna) : I fully agree to the Report of the Department of Parliamentary Affairs, which is before the House. Although it is rather a small Department, its field of activities is quite large and its importance is undeniable so far as development of Parliamentary system and procedure is concerned. The Report says that this Department organises from time to time conferences of the whips of the recognised groups and parties in the the Parliament and the State Legislatures so that establishment of healthy connections may be encouraged and discussions may be held on matters relating to functioning of the Parliamentary form of Government. The honourable Minister has been doing his work admirably He happens to have good personal relations with every member of the House. He is very much interested in the leaders of the groups and rights of members. He convenes conferences of whips of State Legislatures and makes them keep up their vigilance and fulfil their responsibility.

He should be happy that the House works according to the established procedures and conventions. The discussions in the House very much have their repercussions outside. We should honour the democratic way of working. It should be the duty of the members to promote smooth working of Parliament. Nothing should be done to harm the prestige of Parliament. The Opposition has a responsibility to fulfil but that responsibility should be carried out with due regard to the established conventions.

Honourable Members Shri Kamath raises the question of quorum too often. The practice in the House of Commons is that the question of quorum cannot be raised more than three times a week. We might follow our conventions that the question of quorum would not be raised at least during the lunch hour.

There is another important function of this Department. This Department plays an admirable role in following up the assurances given by the Ministers to the House and getting them implemented. I found that 94% of the assurances given during the existence of the Third Lok Sabha have been implemented. This is a praiseworthy matter.

I also praise the Departments' work in connection with the inspection of national undertakings. The Demand for 5 lakhs is not sufficient. The Secretary of the Department is not a full-fledged Secretary. The staff also is not much. Hence, the Secretary should be made a full-fledged Secretary and the staff should also be increased so that the Department may function nicely.

श्री दाजी (इन्दौर) : मैं आरम्भ में ही एक बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं तथा मेरे दल के सदस्य उन चालों से सहमत नहीं हैं जो कुछ सदस्य कभी कभी अपनाते हैं। इसका कारण यह है कि मेरा यह विश्वास है कि संसदीय संस्थाओं को विकसित किया जाये कि उनका खंडन किया जाये। यह बड़ा बुरा होगा यदि संसदीय लोकतन्त्र के कृत्यों में कमी आए अथवा कोई व्यक्ति अथवा दल सत्ता को लोकतन्त्र की परम्पराओं को तोड़ कर छीनना चाहे। वास्तव मे यह सभा जनता की भावदशा तथा उसके स्वभाव का दर्पण होना चाहिये। यह कार्य केवल अनुशासन सम्बन्धी नियंत्रणों से ही नहीं किया जा सकता। माननीय मंत्री को भी ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिस से यह सभा और अच्छी प्रकार से लोक भावना को व्यक्त करे।

संसद् कार्य विभाग का कार्य दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम तो सभा के कार्य को सुव्यवस्थित करना है। परन्तु अब मंत्री महोदय को अपना दृष्टिकोण और अधिक व्यापक बनाना चाहिये और केवल इतने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। जहां तक कार्य की व्यवस्था का सम्बन्ध है माननीय मंत्री कुछ विशेष कुशल नहीं सिद्ध हुए हैं। कभी कभी कार्य-में मंदी आ जाती है और कार्य जल्दी जल्दी किया जाता है। माननीय मंत्री को अपने कार्य-भार में वृद्धि करनी चाहिये और संसद् के कृत्यों शक्तियों तथा अधिकारों को और बढाना चाहिये। उन्हें उस मामले पर विचार करना चाहियें।

आखिर, संसद् का कार्य किस प्रकार चल रहा है? देश के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने का बहुत कम समय मिलता है। अधिकतर समय सरकारी कार्यों में ही व्यय हो जाता है। यहां तक कि महत्वपूर्ण विधान कार्यों के लिये भी पर्याप्त समय नहीं मिलता है। संशोधनों के लिये भी समय कम मिलता है और कार्य की पूर्ति शीघ्रता से करनी पड़ती है। इसके फलस्वरूप हम संशोधनों पर नहीं बोल पाते। मैंने पहले भी सुझाव दिया था और फिर जोर दे कर कहना चाहता हूं कि एक स्थायी विधि समिति बनाई जाए जो प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में नियुक्त किया जाए और जो उन मामलों पर विचार करे जो प्रवर समिति के पास नहीं भेजे जाते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण मामले सभा के सामने नहीं लाये गये हैं। जैसे एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट, डालमिया जैन जांच समिति की रिपोर्ट, तथा योजनायें इत्यादि। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को जो लोकहितों से सम्बन्धित हैं, यों ही नहीं छोड़ देना चाहिये। यदि हम महत्वपूर्ण विषयों की इस प्रकार अवहेलना करते चले जायेंगे तो सभा को वह अधिकार नहीं प्राप्त होगा जो कि एक संसदीय लोकतंत्र में प्राप्त होना चाहिये।

सभा की शक्तियों की तुलना में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है और होती जा रही है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। इस से सभा की प्रभुसत्ता में कमी आती है। संसद् कार्यपालिका के हाथ में कठपुतली बनता जा रहा है। जिस प्रकार प्रश्नों से बचा जाता है, मामलों को टाला जाता है, प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं और महत्वपूर्ण विषयों को एक ओर हटा दिया जाता है, उससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र ठीक प्रकार नहीं चल रहा है। लोक-तन्त्र केवल मतों के गिनने को ही नहीं कहा जा सकता। लोकतन्त्र में चर्चा तथा विचारविमर्श का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अतः यदि सदस्यों को सारे पहलुओं के रखने का अवसर नहीं मिलेगा तो उन्हें बड़ी निराशा का सामना करना पड़ेगा और इससे सभा की मर्यादा को भंग

[श्री दाजी[

होने का अधिक भय उत्पन्न हो जायेगा । अतः इस विभाग का यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कार्यपालिका के बढ़ती हुई शक्तियों को रोका जाये। अन्यथा इस सभा का अधिकार वैसा नहीं होगा जैसा कि संविधान के अनुसार होना चाहिये।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : We should not be disappointed in regard to the transaction of the business in the House. I have tried to acquaint myself with the working of Parliaments in other Countries also. The fact is that we in our Parliament here have more liberty of discussing important issues compared to what is possible in the House of Commons and elsewhere. At a time the business in the House of Commons had become so full and the attendance gone so low that quite often there was no quorum and the press also lost interest in giving publicity to it. The House of commons appointed a Committee which came to the conclusion that the interest of the people in the Parliament was decreasing because most of the work was legislative and was not about issues of public interest. The Committee suggested that some measures should be adopted to remedy it. On the basis of my experience of the last 14 years, I can say that in our Parliament, there is sufficient liberty for discussion of important issues of public interest. The honorable Minister of Parliamentary Affairs has to be congratulated for this. He is genial and good-tempered. The members of the party are very much pleased with him.

It has been decided that the monopoly Commission Report will be discussed here.

In view of the great imortance of the work of the Department of Parliamentary Affairs, the Demand for grant for five lakhs is not unreasonable.

There has been substantial increase in the expenditure of various Ministries, but there has not been any increase in the expenditure of this Department. In view of the importance of the work of this Department, I can say that the demand for grant asked for this Department is on the low side.

There is no doubt about it that there has been some improvement in the functioning of our Parliament. But at the same time, we feel that we should have some arrangement whereby the Members are given opportunity to discuss various issues in a specialised way, we should have committees or small groups where an issue is discussed thread bare. There is no doubt about it that there are standing committees but they are not given the same importance as is accorded to the financial committees. If the other Parliamentary committees are accorded the same importance as the financial committees, the members of these committees would take greater interest in their work.

We find that in spite of the fact that there is a lot of work pending in the Parliament the sessions are not extended even by a few days. We should not be misers in this matter. After all we do not want to waste time but on the other hand we want to make the best use of it. I would therefore suggest that if we felt short of time, there should be no hesitation in extending the Session by a few days so that important issues could be discussed in the House.

The Minister of Parliamentary Affairs is also the leader of the House. But the statements made by him in regard to the Business of the House, for which some criticism is also levelled against him should be strictly in his capacity as the Ministry of Parliamentary affairs only, and not as the leader of the House who should be above such criticism.

I fully agree with Shri Kapur Singh that Satya Narayan Sinha is like a flower which always emits good smell. His behaviour has always been very good and we have no complaint to make against him. We now find that after his stepping down from the office of chief whip, the matters are not being discussed with the opposition and that agreement is not there which used to be previously with the opposition. The incident which had occurred in the House the other day would not have taken place if discussion had been held with the oppoisition before the matter was raised in the House.

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, संसदीय कार्य विभाग द्वारा भारतीय साम्यवादी दल के वाम पक्षी ग्रुप के साथ भेदभाव बरता जाता है। जब कभी प्रधान मंत्री आदि से मुलाकात करने की कोई व्यवस्था की जाती है तो हमारे ग्रुप के सदस्यों को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। इस ग्रुप के सदस्यों को अनौपचारिक सलाहकार समिति द्वारा भी कभी नहीं बुलाया गया। प्रवर समितियों तथा अन्य निकायों पर कार्य करने के लिये सदस्यों की नियुक्ति करते समय भी हमारे ग्रुप से भेद भाव बरता जाता है। यदि यह प्रथा जारी रही तो हमें भी असंसदीय प्रथाओं की शरण लेनी पड़ेगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के फलस्वरूप केरल सम्बन्धी सारा विधान-कार्य संसद् द्वारा किया जाना है। वहां पर सलाहकारों तथा राज्यपाल द्वारा ऐसे ढंग अपनाये जा रहे हैं जिन से केरल के लोगों को उन के अधिकारों से वंचित किया जा सके। अतः मैं चाहता हूं कि केरल के आयव्ययक पर चर्चा के लिये कम-से-कम सात दिन नियत किये जाने चाहिये जिससे हम अपने मत व्यक्त कर सकें।

सरकार ने साम्यवादी दल के वामपक्षी ग्रुप पर जो आरोप लगाये हैं उनका खण्डन करने के लिये हमें आकाशवाणी को प्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् इस विभाग के प्रतिवेदन में इस विभाग से कृत्यों की जो सूची दी गई है उस में "संसद् को राष्ट्रपति का अभिभाषण" भी शामिल किया गया है। यह समझ में नहीं आता कि क्या अभिभाषण इस विभाग में लिखा जाता है अथवा इस के लिये सामग्री इस विभाग द्वारा इकट्ठी की जाती है। इसपर प्रकाश डाला जाना चाहिये।

इसी प्रकार संसद् सदस्यों की शक्तियों विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों से सम्बन्धित मामलों का ध्यान अध्यक्ष महोदय द्वारा रखा जाता है। परन्तु इस कार्य को भी इस विभाग के प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। इस पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिये।

यह एक विचित्र बात है कि सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को, जिनको पहले दर्जे के 'पास' मिलते हैं। यदि वे पहले दर्जे तथा वातानुकूलित दर्जे के किराये में जो अन्तर है, उसका भूगतान कर दें तो वे वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं। परन्तु संसद् सदस्यों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। जो सुविधायें अन्य पास रखने वालों को उपलब्ध की जाती है वही संसद् सदस्यों को भी दी जानी चाहिये।

प्रतिवेदन में कुछ ऐसे कृत्यों का भी उल्लेख किया गया है जिनका इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ विधेयक सम्बन्धीत मंत्रालयों द्वारा स्वयं प्रस्तुत किये जाते हैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संदल्प स्वयं सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं आदि। परन्तु इनको भी इस विभाग के कृत्यों में शामिल किया गया है।

[श्री हरी विष्णु कामत]

संसद के सत्रों की अवधि बहुत कम है । यदि संसद् को अपना कार्य अधिक अच्छे ढंग से करना है, तो एक वर्ष में कम-से-कम सात से आठ मास संसद् की बैठक होनी चाहिये । यदि राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं किया जायेगा तो हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था असफल हो जायेगी और परिणाम यह निकलेगा कि यहां पर तानाशाही स्थापित हो जायेगी। अतः हमें इस मामले की ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

सभा में गणपूर्ति के लिये संविधान में उपबन्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में 1956 में मैंने इस उपबन्ध में परिवर्तन करने की बात कही थी जिसके फलस्वरूप एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था परन्तु सत्रावसान हो जाने के कारण यह विधेयक व्ययगत हो गया था। यदि सरकार कोई परिवर्तन करना चाहती है तो उसे एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ।

आश्वासनों के बारे में कहा गया है कि 95 अथवा 98 प्रतिशत आश्वासनों को क्रियान्वित कर दिया गया है। यह एक भ्रमपूर्ण प्रतिशतता है। अतः मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि 1962 और संभवतया इस से पूर्व के कितने आश्वासन ऐसे हैं जिनको पूरा नहीं किया गया और इनको पूरा करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

संसद्-कार्य विभाग को एक मंत्रालय में परिवर्तित करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इस विभाग में इतना कार्य नहीं है।

खेद है कि मंत्री तथा और विभागों के मुख्य अधिकारी संसद् सदस्यों के पत्रों का तुरन्त उत्तर नहीं देते हैं। इस स्थिति में कुछ सुधार लाया जाना चाहिये।

विधान मंडलों में गडबड होने की जिम्मेदारी जितनी सत्तारूढ दल पर है उतनी ही अन्य दलों पर भी है।

मुझे आशा है कि इन सभी मामलों पर विचार किया जायेगा और कार्य स्थिति को सुधारा जायेगा ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग का प्रतिवेदन एक सर्वोत्तम प्रकाशनों में से एक है। इस में न केलव इस विभाग के कृत्यों का ही उल्लेख है परन्तु इस से यह भी मालूम हो जाता है कि संसद् में कैसे कार्य होता है। इसके लिये विभाग की सराहना की जानी चाहिये।

संसद्-कार्य मंत्री की स्थिति एक संयुक्त परिवार के प्रबन्धक की तरह है जिसको समूचे परिवार के हितों का ध्यान रखना पड़ता है।

गणपूर्ति के लिये केवल काँग्रेस दल ही जिम्मेदार नहीं है परन्तु अन्य दल भी इसके लिये जिम्मेदार हैं क्यों कि सभी सदस्यों ने यह शपथ ले रखी है कि कार्य-संचालन में वे अपना पूरा सहयोग देंगे ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Mr. Deputy Speaker, Sir, according to the Report of this Department the number of MPs. included in the delegations sent to the various Afro-Asian counrtries etc. was 40. Out of these 40 Members, there were from the Opposition parties and the remaining 37 from the Congress Party. There should not be such discriminatory treatment in this matter. The Members of opposition parties should rather be given more opportunities because they will give you a correct picture of things prevailing in other countries.

It is regretted that whenever any information is asked for, it is not given on the plea that it is not readily available and even if some times it is given it is found to be incorrect. Efforts should be made to improve such state of affairs.

The introductory writings on the panels being in the veranda of the Parliament House should be in Hindi and not in English as at present.

Smoking should not be allowed in the meetings of the consultative committees of the Ministries.

Maintenance of quorum in the House is primarily the responsibility of the ruling party. It is the duty of the Minister to see that quorum is maintained in the House.

During the recent conflict with Pakistan, a number of members of Parliament both of Congress and opposition visited forward areas to study the situation on the spot. While MPs. of ruling party were frequently allowed to speak on the A.I.R. to give their account about the real state of affairs prevailing in those areas, a very few members of opposition were allowed to do so. For instance we visited Rajasthan twice, on both these occasions, a member of ruling party was allowed to give his account of the forward areas on the A. I. R. If an opportunity had been given to a member of opposition, he would have perhaps given a more realistic picture of the situation prevailing in the forward areas. I would, therefore suggest that in all matters members of ruling party and the opposition parties should be treated at par.

In the conference held last time, it was decided that members of opposition should be sent abroad, but no attention has been paid to the report of the conference. I would like to suggest that members of opposition parties should be allowed to visit the troubled places and their report should be laid on the table of the House.

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Deputy Speaker Sir, if the Members are denied their right to speak on the Demands for Grants of any Ministry, it would be negation of democracy. Discussion is the very foundation of democracy and if we want to maintain this system, discussion on matters and happenings in the country should be allowed. If we try to thwart discussion, it would create an explosive situation. If there are any defects in our parliamentary system, these should be removed. We should not ignore facts. We must face realities boldly. We would not be able to maintain democracy by bushing up issues.

There connot be any danger to our democracy if any matter is discussed in this House. Never in the history of the world did any country face any danger because some matter had been discussed in the legislative chamber of that country. Always, a country faces danger from the outside public. You should think over it seriously. More discussions should be held here. This will make our democracy more strong. If you press it then it can lead to an explosion and the responsibility for that will be upon the ruling party.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir, whatever happens in England should not be a model for us. Our Rishis and Munis have laid down for us certain principles after devotion and research of lakhs of years.

This is against our principle that fifty persons should rise simultaneously to put a question. This is indiscipline. This can happen only in England and not here. Only those members should be allowed to speak who have already given motion on the topic.

Secondly, we should lay down a rule that no new debate should be opened until the previous debates have been concluded. Now we see that many debates are pending for more than 2-3 years. That is not good.

[Shri Yashpal Singh]

The staff served by Shashi Ram, Caterer in the Parliament House is very poor. The Atta used by him is not fit for human consumption. The vanaspati used by him gives bad smell. Such like contractors should be removed at once.

More important than this is the question of decorum of this House. We must learn to honour the Speaker. Even if the Speaker has taken a wrong decision, we should obey it. Some provisions should be made to keep the dignity and decorum of the House.

You might not have seen any Chief Justice of the High Court who is not authorised to give a decision. I have not seen any Principal of a College who is not authorised to teach. But here our poor Prime Minister has no right to vote. We should have the rule that either the Prime Minister shall always be an elected person or that anybody who becomes Prime Minister shall have the right to vote.

We should not follow the procedure and practices of the British Parliament blindly. Our country cannot progress till the party system remains. We must rise above party politics.

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्री कामत ने संसद् में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र किया । शायद उनका विचार है कि राष्ट्रपति अभिभाषण भी हम ही तैयार करते हैं । हम तारीख निश्चित करते हैं, किस तारीख को दोनों सदनों को बुलाया जाना चाहिये । इस विभाग का कार्य चार श्रेणियों में विभक्त है । दोनों सदनों के वैधानिक तथा अन्य सरकारी कार्य का नियोजन तथा समन्वय संसद् सदस्यों की सेवा, संसद् में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों का क्रियान्वयन तथा प्रक्रिया संबंधी और अन्य संसदीय मामलों पर मंत्रियों को सलाह देना ।

इस सदन में तथा दूसरे सदन में सरकारी कार्य के नियोजन तथा समन्वय का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिये प्रबन्ध करना है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह कार्य कभी भी उचित ढंग से नहीं किया गया है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : कोई व्यक्ति अपने आपको पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता । हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस सभा के कार्य के संबंध में उचित अनुपात बनाये रखा जाना चाहिये । मैं इससे सहमत नहीं हूं कि यह संसद् एक कारखाने की तरह हो जिसमें केवल वैधानिक कार्य ही हो । गैर-वैधानिक कार्य के लिये हमने जो अनुपात रखा है वह संसार की किसी भी लोकतन्त्रात्मक संसद् में नहीं है । यह भी मांग की गई है कि कुल सत्रों की छः महीनों की अवधि को बढ़ाया जाये । इसके लिये मैं अभी तो कोई वायदा नहीं कर सकता हूं, परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि समय कुछ अधिक होना चाहिये । यदि आवश्यक हुआ तो हम ऐसा कर देंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : 7 महीने से कम नहीं होना चाहिये; बजट सत्र के लिये 3½ महीने ।

श्री सत्य नारायण सिंह : [अब तक लोक सभा का 30 प्रतिशत कार्य वैधानिक रहा है । 37 प्रतिशत वित्तीय तथा 33 प्रतिशत गैर-वैधानिक रहा है । जैसा कि मैंने कहा किसी भी लोकतन्त्रात्मक देश में गैर-वैधानिक कार्य को इतना समय नहीं दिया जाता है ।

गणपूर्ति का भी जिक्र किया गया है। कभी कभी गणपूर्ति न होने के कारण सभा को स्थगित करना पड़ता है और कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन में 15 या 20 बार गणपूर्ति की घंटी बजाई जाती है। परन्तु मैं यह बता दूं कि कोई भी संसद इस व्याधि से बची हुई नहीं है। यह ठीक है कि गणपूर्ति रखने की मुख्य जिम्मेदारी हम पर है, परन्तु किसी हद तक प्रतिपक्षी दलों की भी यह जिम्मेदारी है। इस सभा की एक परम्परा रही है कि खाने के घंटे में गणपूर्ति का प्रश्न न उठाया जाये। केवल श्री कामत को इस पर आपत्ति थी।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री मावलंकर मुझ से सहमत थे। श्री आयंगार मुझ से सहमत थे।

श्री सत्य नारायण सिंह : इस विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य संसद् सदस्यों की सेवा करना है। मेरे विचार में संसद सदस्यों की जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा की जा सकती है वह यह है कि सरकारी कार्यों के अध्ययन के लिये और सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य संचालन में रुचि रखने वाले सदस्यों के लिये विशेष जानकारी प्राप्त करने के अधिक अवसर दिये जायें। मेरा विचार है कि मेरे विभाग के कार्य की जांच इसी कसौटी पर की जाये।

जहां तक परामशदात्री समितियों का सम्बन्ध है, इस विभाग ने उन समितियों के सदस्यों को 1,462 टिप्पण (नोट्स) बांटे। जो सदस्य उन परिपत्रों में दी गई जानकारी को अच्छी तरह समझ लेंगे वे निश्चय ही कई मंत्रालयों के कार्य संचालन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इस विभाग ने संसद् सदस्यों को कई महत्व पूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं और उपक्रमों को दिखाने के लिये संसद् सदस्यों के कई दलों की यात्रा का प्रबन्ध किया, जिससे वे मौके पर उनका अध्ययन कर सकें। और कई बार इन यात्राओं में विरोधी दल के सदस्यों को भी शामिल किया गया है और कई विरोधी सदस्यों ने इनका नेतृत्व भी किया है।

इस बात का ध्यान रखने के लिये कि आश्वासनों को कार्यान्वित किया जाता है अथवा नहीं हमने एक केन्द्रीय समन्वय विभाग खोला। दूसरी लोक सभा के आरम्भ में सैंकड़ों आश्वासन दिये गये थे जिनको कार्यान्वित नहीं किया गया और जिनको आश्वासनों सम्बन्धी समिति ने अन्त में समाप्त कर दिया। परन्तु हमने सम्पूर्ण स्थिति की जांच की और प्रत्येक आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिये विभाग के एक अनुभाग को इस काम पर लगा दिया। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप दूसरी लोक-सभा की अवधि समाप्त होने से तीसरी लोक-सभा के प्रथम वर्ष के आरम्भ होने तक हमने मंत्रियों द्वारा संसद् को दिये गये लगभग 99 प्रतिशत आश्वासनों को कार्यान्वित कर दिया था। तीसरी लोक-सभा के बारे में आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में आप कृपया मेरे विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन को देखें। तेरहवें सत्र तक 2544 आश्वासनों में से 2315 आश्वासनों को कार्यान्वित किया जा चुका था और लगभग 87 आश्वासनों को कार्यान्वित किये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन को शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। 94.42 प्रतिशत आश्वासनों को कार्यान्वित कर दिया गया है, यह इस विभाग तथा विभिन्न मंत्रालयों के सम्बन्ध के फलस्वरूप हुआ है।

1962, 1963, 1964 और 1965 के जिन आश्वासनों को कार्यान्वित नहीं किया गया है उनकी संख्या क्रमश: 1, 6, 28 और 107 है। 94 प्रतिशत कार्यान्विति के बावजूद भी इन आंकड़ों की आलोचना की जा सकती है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि मेरे विभाग ने किसी आश्वासन को भी उपेक्षा नहीं की। कभी कभी ऐसे कारणों से विलम्ब हुआ है जो कि हमारे तथा सरकार के मंत्रालयों के नियंत्रण से बाहर थ; उदाहरण के तौर पर जब मामला न्यायालय के विचाराधीन हो अथवा राज्यों से आंकड़ें एकत्र करने हों।

संसदीय शिष्ट-मंडलों का मामला पूर्णतया अध्यक्ष महोदय तथा सभापति के हाथ में है। परन्तु ऐसे मामलों में अध्यक्ष महोदय हमेशा मेरी सलाह लेते हैं। जहां तक सरकार द्वारा भेजे गये शिष्ट-मंडलों का संम्बन्ध है, कुछ सदस्यों ने कहा है कि विरोधी दल को पर्याप्त

[श्री सत्य नारायण सिंह]

प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। शायद वे नहीं जानते कि विरोधी दल के कुछ नेताओं ने विदेशों को जाने के हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। सरकार को उन शिष्ट-मंडलों के सदस्य चुनने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि उनको सरकार की नीतियों का प्रचार करना होता है। भूत-पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि ऐसे शिष्टमंडल भेजते समय वह अध्यक्ष महोदय से भी परामर्ष किया करेंगे। परन्तु शिष्ट-मंडलों को भेजने का पूर्ण अधिकार सरकार को है।

जब हमने सचेतक (व्हिप) सम्मेलन आरम्भ किया था तो हम केवल कांग्रेस दल के सचेतकों को आमंत्रित किया करते थे। परन्तु हमने सोचा कि यदि हमें इसे प्रभावकारी बनाना है तो हमें सभी दलों के सचेतकों को बुलाना चाहिय। गत सचेतक सम्मेलन बहूत महत्व पूर्ण था और समाचार पत्रों का ध्यान भी इस ओर बात आकर्षित हुआ था। मुझे यह कहत हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में सभी संकल्प एकमत से पास हुए।

मैं उन मित्रों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे लिये अच्छे शब्द कहे और उनका भी जिन्होने मेरी आलोचना की। जहां तक एयर कंडीशनिंग का सम्बन्ध है, म अब उस समिति का सभापति नही हूं। परन्तु मैं समझता हूं कि उनकी यह मांग उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संसद् कार्य विभाग के संबंध में निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई: *The following Demands in respect of Department of Parliamentary Affairs were put and adopted.*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
105	संसद-कार्य विभाग	4,13,000

परिवहन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय

वर्ष 1966-67 के लिये परिवहन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय की अनुदानों की निम्न-लिखित मांगे प्रस्तुत की गईं:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रूपये
86	परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय	1,13,83,000
87	ऋतु विज्ञान	2,37,51,000
88	केन्द्रीय सड़क निधि	3,17,60,000
89	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	9,57,77,000
90	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	1,34,28,000
91	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत	1,12,47,000
92	उड्डयन	5,99,70,000
93	परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,88,06,000
137	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	10,10,57,000
138	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	6,91,27,000
139	उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	4,19,21,000
140	परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,31,52,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये मांगें सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): मैंने अपने 18 मार्च, 1966 के वक्तव्य में एयर इंडिया के फ्लाइट नेवीगेटरों की अवैध हड़ताल के बारे में बताया था। न्यायाधिकरण ने 23 मार्च, 1966 को अपना फैसला द दिया था और यह एयर इंडिया के कर्मचारियों तथा मालिकों दोनों पर लागू होगा। फैसले में स्थिति संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है। सबसे अधिक वेतन पाने वाली दो श्रेणियां है, अर्थात पायलट और इंजीनियर। न्यायाधिकरण का फैसला सिवाये इन दोनों के बाकी सब निम्न श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होता है। फिलहाल तो फ्लाइट नेवीगेटर इस फैसले से असन्तुष्ट नही लगते। जैसे कि मैंने पहले बताया नेवीगटर इसलिय असन्तुष्ट हैं क्योंकि उनको फ्लाइट इंजीनियरों के बराबर रखा गया है। उन्होंने अपनी शिकायत दूर करने के लिये कोई वैध तरीका नही अपनाया और एक अवैध हड़ताल कर दी जिससे निगम तथा देश दोनों को हानि पहुंची। उनकी हड़ताल के कारण सैकड़ों कर्मचारियों को जबरी छुट्टी देनी पड़ी। इस बात का भी उन पर कोई प्रभाव नही पड़ा और उन्होंने आज तक अपनी हड़ताल जारी रखी है। यह सब उन आश्वासनों के बावजूद है जो मैंने उन्हें दिये थे कि फैसले की परिधि में उनकी सभी उचित शिकायतों की ओर ध्यान दिया जायेगा।

निगम में अनुशासनहीनता बहुत अधिक बढ़ गई है। विभिन्न प्रकार के कर्मचारी अपनी मांग मनवाने के लिये 'धीमी गति से काम करना' 'नियमानुसार काम करना' जैसे अवैध तरीके अपनाते है। यह सब इस बात के बावजूद है कि विमान के चलीको का कुल मासिक वेतन 4,200 रुपये से 6,640 रुपय हो जाता है। मुझ आशा है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि इतना अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों से अनुशासन के अच्छे स्तर की आशा की जाती है।

इस इतिहास को देखते हूए और नेवीगेटरों के अवैध कार्य को देखते हुए, एयर इंडिया के महा-प्रबन्धक ने निम्नलिखित कार्यवाही की :

(क) नेवीगेटरों को 24 घंटे के अन्दर अपनी हड़ताल तोड़ने के लिये कहा जायेगा और 5 अप्रल को ड्यूटी पर आने के लिये कहा जायेगा। परन्तु मुझे अफसोस है कि उन्होने अभी तक इसे स्वीकार नही किया है।

(ख) यदि नेवीगेटरों ने इसे मांग को स्वीकार नही किया तो उनको पदच्युत कर दिया जायेगा। और तीन पायलटों को विमान चलाने के लिये कहा जायेगा, जिनमें से एक पायलट नेवीगेटर का कार्य करेगा।

(ग) यदि पायलट इसे सहमत हो गए तो कई विमान सेवाये चालू हो जायेंगी। परन्तु यदि उन्होने इसे न माना तो निगम को बिल्कुल बन्द कर दिया जायेगा। इंडियन पायलट गिल्ड आज इस पर विचार करेगी।

मेरे विचार में सभा इस बात से सहमत होगी कि नेवीगेटरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कीजानी चाहिये क्योंकि उन्होने केवल निगम का बल्कि सारे देश का अहित किया है। उन्होने अपने जैसे हजारों कर्मचारियों को बेकार कर दिया है। और यदि यह स्थिति जारी रही तो इससे भी अधिक कर्मचारी बेकार हो जायेंगे और इसके लिये 41 नेवीगेटर उत्तरदायी होंगे। बाकी कर्मचारियों को इस हड़ताल की निन्दा करनी चाहिये क्योंकि इससे उनका अहित हो रहा है और पायलटों को हमारे साथ पूरा सहयोग करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि कोई सभापति उपस्थित नही है। मुझे सभा को कुछ समय के लिये स्थगित करना पड़ेगा—

इसके पश्चात् लोक-सभा पांच मिनट के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for five minutes

तीन बज कर सैंतीस मिनट पर लोक-सभा पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at 37 minutes past fifteen.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अनुदानों की मांगें-जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

परिवहन और उड्डयन मंत्रालय—जारी
Ministry of Transport and Aviation—*Contd.*

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मंत्री महोदय एक वक्तव्य देंगे। हमें प्रश्न पूछने की इजाज़त होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने वक्तव्य में इन बातों को उठा सकते हैं।

श्री मो० रु० मसानी (राजकोट) : सड़क परिवहन के सम्बन्ध में मैं दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सड़क परिवहन पर अत्यधिक कर लगाया गया है। यदि एक ट्रक दिल्ली से कलकत्ते जाता है तो उस पर इतना कर लगता है कि वह रेल के भाड़ से दुगना हो जाता है। और इसी अत्यधिक करारोपण के परिणामस्वरूप आज पंजाब में ट्रकों ने हड़ताल कर दी है। हजारों ट्रक बेकार पड़ हैं और खाद्य पदार्थ सड़ रहे हैं। और अब यह हड़ताल राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी फैल सकती है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह आल इंडिया मोटर यूनियन कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली में बुलाकर उनकी कठिनाइ को समझने की कोशिश करें। और यदि वह संतुष्ट हो जायें, तो पंजाब सरकार को अतिरिक्त 50 प्रतिशत कर घटाने की सिफारिश करें।

रेलवे बोड ने दिनांक 9 सितम्बर, 1958 और 16 जून, 1959 के दो सर्कूलर जारी किये हैं। इनके अनुसार सड़क परिवहन द्वारा 300 मील से लम्बी अथवा 250 मील के अर्धव्यास के घेरे से अधिक यात्रा बिना रेलवे बोर्ड की इजाज़त के बगैर नहीं की जा सकती। यह बहुत ही आपत्तीजनक स्थिति है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर द्वारा बार बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद इन सर्कूलरों को वापस नहीं लिया गया है। अब मुझे आशा है कि स्थिति उतनी गम्भीर नहीं रहेगी जितनी पहले थी क्योंकि जो रेलवे मंत्री अब हैं वे पहले रेलवे मंत्रियों की अपेक्षा अधिक राजनतिक प्रभाव वाले हैं और उनका मित्रतापूर्ण स्वभाव है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इन सर्कुलरों को वापस ले लें और सड़क परिवहन के विकास को न रोकें।

पर्यटन के सम्बन्ध में मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। पहला तो पर्यटन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नीति न बनाना। दूसरे पर्यटन उद्योग को निर्यात उद्योग के रूप में न मानना ; और तीसरे पर्यटन की उन्नति के लिये एक स्वायत्त प्राधिकार स्थापित करने की आवश्यकता। यह अनुमान लगाया है कि यदि हम पर्यटन उद्योग को ही ठीक प्रकार से चलायें तो हम 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश भारत में पर्यटन प्रतिशतता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है—1955 से 1960 तक 20 प्रतिशत से 1961—1966 में 10 प्रतिशत तक हो गई है।

पर्यटन उद्योग को उन्नति की लिये पहला कदम उसको निर्यात उद्योग के रूप में मान्यता देना है। इससे, बाकी निर्यात उद्योगों की तरह, विदेशी मुद्रा तो अर्जित की जाती है परन्तु देश से कोई चीज़ बाहर नहीं जाती। पर्यटन उद्योग की प्रगति के लिये सरकार को राजमार्गों, हवाइ अडडों तथा सैरगाहों की व्यवस्था करनी चाहिए। होटलों के भवन-निर्माण के लिये सरकार को ऋण देने चाहिए। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार को विदेशों में प्रचार करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, हमारे रुपय का मूल्य बहुत कम है। खुले बाज़ार में एक डालर 9

रुपये के बराबर है और 1 पौंड 26 रुपये के बराबर है। इसका परिणाम यह है कि पर्यटन उद्योग से जो विदेशी मुद्रा मिलती है उसमें से केवल 25 प्रतिशत बैंकों द्वारा देश में आती है बाकी 75 प्रतिशत ब्लैक मार्कीट में चली जाती है। मेरे एक विदेशी मित्र मेरे पास ठहरे थे और उन्होंने बताया कि टैक्सी ड्राइवर उनको बुलाकर पूछते हैं कि क्या आपको डालर के दुगने रुपये चाहिएं जोकि आपको बैंक द्वारा मिलते हैं। यही चीज कानाट प्लेस के गलियारों और दिल्ली के होटलों में होती है।

यदि हम रुपये का अवमूल्यन नहीं कर सकते तो हमें छाट कर अवमूल्यन करना चाहिये। उसके तरीके यह हैं कि "टूरिस्ट रुपये" होने चाहियें। इस से पर्यटकों को दूसरे लोगों के मकाबले अपने डालर तथा पौंड की दुगनी कीमत मिल सकेगी। दूसरा तरीका यह है कि मान्यता प्राप्त होटलों, दुकानों आदि पर पर्यटकों के चैक तथा डालरों का खुले बाजार दर पर परिवर्तित करने की अनुमति दी जानी चाहिये। इस से दुकानदारों को हानि होगी परन्तु देश को विदेशी मुद्रा मिल सकेगी। सरकार उन दुकानदारों आदी के घाटे को पूरा करे।

जहां तक सरकारी अफसरशाही का संबंध है वह पर्यटक उद्योग को विकसित नहीं होने देगा। अन्य प्रगतिशील देशों में अधिकतर सरकार के सहयोग से स्वायत्त प्राधिकार अथवा निगम स्थापित किये गये हैं। वहां सरकार उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। ऐसा ही कुछ हमें करना चाहिये।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एयर इन्डिया की हड़ताल के बारे में कुछ कह दूं। मेरा यह मत है कि स्वतन्त्र देश में हड़ताल करने का अधिकार है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गर-कानूनी हड़ताल करनी चाहिये। यह बहुत ही दुःख की बात है। 41 अधिकारी जिन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलता है देश को तंग कर रहे है। इसका कारण। यह है कि पंचाट उनके हक में नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। एयर-इन्डिया के प्रबन्धकों के बारे में सरकार ने बहुत वर्षों तक नरम नीति अपनाई और यह हड़ताल उसी का परिणाम है। सरकार को बार बार चेतावनी दी जा चुकी है कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता के सामने घुटने नहीं टेकने चाहियें। आज का जो दृढ़ वक्तव्य सुना वह औद्योगिक गुंडागर्दी के विरुद्ध ठीक ही है। इसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार अपनी इस दृढ़ नीति पर डटी रहेगी।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : विकास के लिये यातायात बहुत आवश्यक है। हमारी सड़कों की क्षमता संसार में सब से कम है। हमारे देश में यह केवल $19\frac{1}{2}$ प्रतिशत परिवहन ले जाता है। इंगलैंड में यह 70 प्रतिशत ले जाता है और इटली में 69 प्रतिशत। रेल यातायात द्वारा सामान प्रतिदिन 50 मील की यात्रा करता है जब कि सड़क द्वारा यह 300 से 400 मील प्रतिदिन है। सड़क निर्माण पर रेल निर्माण से तिहाई व्यय होता है। तीसरे सड़क निर्माण में रेल निर्माण से कम समय लगता है। सड़क आप जहां चाहें बना सकते हैं। रेल के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन कारणों से स्पष्ट है कि सड़क यातायात का निर्माण रेल यातायात से अच्छा होगा।

आसाम यातायात के हिसाब से सब से पिछड़ा क्षेत्र है। इसके चारो ओर शत्रु देश हैं। सड़कें वहां कम हैं। पुलों की हालत खस्ता है। आसाम में वर्षा बहुत अधिक होती है। उस प्रदेश में सड़कों के निर्माण के बारे में फिर विचार जाना किया चाहिये।

आसाम में अन्तर्देशीय जल परिवहन की काफी सम्भावनायें हैं। आसाम का 80 प्रतिशत सामान तो नदियों द्वारा भेजा जाता है। पाकिस्तान से लड़ाई ने तो इस सम्बन्ध में हालत और भी खराब कर दी है।

[श्री प्र. चं. बरुआ]

सरकार ने "रीवर स्टीमर नेवीगेशन कम्पनी" के 90 प्रतिशत अंश खरीद रखे हैं और बाकी के 10 प्रतिशत अंश भी सरकार को देने की पेशकश की है। यह प्रयास किया जाना चाहिये कि इसके 10,000 कर्मचारी भारतीय हों। अभी कुछ समय पूर्व तक लगभग इसके सारे कर्मचारी पाकिस्तानी थ। कम्पनी के संचालक बोर्ड सिवाय एक के बाकी सब गैर-आसामी हैं। इस संचालक बोर्ड का पुनर्गठन होना चाहिए और इस में अधिकतर सदस्य आसाम के होने चाहिये।

श्री मसामी ने पर्यटन के संबंध में काफी कहा है। आसाम की इस मामले में बहुत उपेक्षा की गई है। जब भी कोई प्रतिनिधि मंडल अथवा सांस्कृतिक मंडली विदेश से देश में आती है तो उसको आसाम नहीं ले जाया जाता है। इतना सुन्दर वह प्रदेश है जोकि बाहर वालों के लिये वंचित किया हुआ है।

सरकार ने एयर इन्डिया तथा इन्डियन एयर लाइन्स पर बहुत रुपया लगाया हुआ है परन्तु उसका लाभ कुछ नहीं हुआ। उसके अच्छा वेतन पाने वाले कर्मचारियों में अनुशासनहीनता है। कुछ को तो 1,000 रुपये से 6,000 रुपये मासिक तक मिलते हैं। मेरा उनसे केवल यह कहना है कि जबकि इस देश में प्रतिव्यक्ति आय एक रुपया प्रति वर्ष से कुछ अधिक है, क्या वह न्याय संगत है कि इतनी अधिक वेतन लें और फिर भी हड़ताल करें?

यातायात मंत्रालय के अधीन पर्यटकों के तीन निगम स्थापित करने की योजना है। इसका कार्य पर्यटकों को बम्बई तथा दिल्ली में इधर उधर आने जाने के लिये टैक्सी आदि देना है। इस निगम का चलना पहले ही कठिन हो गया है और उस पर काफी रुपया भी व्यय किया जा चुका है। इतने निगम रखने की बजाय यह अच्छा होगा कि एक निगम हो और उसे ठीक प्रकार चलाया जाये। यह दुःख की बात है कि असैनिक उड्डयन अधिकारियों ने जोरहाट हवाई अड्डे पर स्थायी "टर्मिनल" भवन अब तक नहीं बनाया है। यात्रियों के रहने का स्थान बहुत गन्दा तथा घटिया है। वहां जो असुविधायें हैं उन्हें समाप्त किया जाना है।

सभापति महोदय : सदस्यों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार परिवहन और उड्डयन मंत्रालय के बारे में कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 6 और 11 से 15 प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की गई है। अतः इन्हें प्रस्तुत हुए समझा जाये।

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
86	1	श्री यशपाल सिंह	कोचीन में जहाज बनाने का एक दूसरा कारखाना स्थापित करने का काम तेज करने की वांछनीयता।	100 रुपये
86	2	श्री यशपाल सिंह	सड़क-विकास कार्यक्रम को तेज करने की वांछनीयता।	100 रुपये
86	3	श्री यशपाल सिंह	भारतीयों के जहाजों में सुविधायें बढ़ाने की वांछनीयता।	100 रुपये
86	4	श्री यशपाल सिंह	मुगल लाइन लिमिटेड का कार्यचालन, विशेषकर हज के यात्रियों को सुविधायें देने संबंधी इसका भाग।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
86	5	श्री यशपाल सिंह	कर्मचारियों में अनुशासनहीनता की दृष्टि से एयर-इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का कार्यचालन ।	100 रुपये
86	6	श्री यशपाल सिंह	बार्डर-रोड डिविज़न के कार्यचालन में सुधार की आवश्यकता ।	100 रुपये
86	11	श्री मी० रु० मसानी	परिवहन नीति और समन्वय सम्बन्धी समिति का अन्तिम प्रतिवेदन ।	100 रुपये
86	12	श्री मी० रु० मसानी	रेलवे के हितों में लम्बी दूरी के सड़क परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रतिक्रियात्मक नीति को जारी रखना ।	100 रुपये
86	13	श्री मी० रु० मसानी	सरकार द्वारा पर्यटन सम्बन्धी किसी नीति का न बनाना ।	100 रुपये
86	14	श्री मी० रु० मसानी	पर्यटन उद्योग को निर्यात उद्योग के रूप में मान्यता देने की वांछनीयता ।	100 रुपये
86	15	श्री मी० रु० मसानी	पर्यटन उन्नति के लिये एक स्वायत्त आधिकार स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्री मसानी ने दो बहुत खतरनाक सुझाव रखे हैं । एक तो वह चाहते हैं कि रुपये का अवमूल्यन दूसरे तरीके से हो जैसा कि उनके कथनानुसार रूस में है । मुझे इसके बारे में पूरा विवरण तो पता नहीं परन्तु रुपये का अवमूल्यन देश के लिये अच्छा नहीं होगा ।

दूसरी बात श्री मसानी ने एयर इन्डिया की हड़ताल के बारे में कही है । श्री संजीव रेड्डी ने अधिकतर तथ्यों को रखा है । श्री रेड्डी सख्ती के लिये विख्यात हैं । लेकिन उन्हें इन 41 टैकनीशनों पर ही अपनी कठोरता नहीं दिखानी चाहिये । सरकार का पक्ष यह है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा एक पंचाट दिया गया था और उसका पालन करना आवश्यक है । सवाल तो यह है कि क्या सरकार ने पिछले 18 वर्षों में जितने पंचाट दिये गये उनका पालन किया था ।

ऐसी बात नहीं है कि हम हड़ताल से प्रसन्न हैं । जब भी नेवीगेटर मुझ से मिले मैंने उन्हें बताया कि यह हड़ताल दुःखजनक है और मैंने उन्हें सुझाव दिया कि इस मामले को सद्भाव से सुलझाया जाये । परन्तु अधिकारी तो यह सोचते हैं कि एक बार जब हड़ताल हो जाये तो केवल उसका कानूनी भाग रह जाता है और इस बात पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं कि ठीक कौन है और ग़लत कौन है । इस लिये इसे अब प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये । हड़ताल की समाप्ति से एयर इन्डिया तथा देश दोनों को लाभ होगा ।

इस मामले में मंत्री महोदय को सोच समझकर कदम उठाना चाहिये और वास्तविक रुख लेना चाहिये । जहां तक संभव हो मित्रतापूर्ण समझौता किया जाये ।

यह भी देखा गया है कि एयर इन्डिया में एक ही अधिकारी बहुत वर्षों तक अपने पद पर एक ही स्थान में नहीं रहे । मैं तो देखता हूं कि वही लोग बहुत से वर्षों से एक ही पद तथा एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं ।

[श्री नाथ पाई]

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का कार्य बड़ा असंतोषजनक है। इसका चेयरमन एक बड़ा कुशल सेक्रेटरी है। लेकिन क्या इन दोनों पदों पर दो व्यक्ति नहीं रखे जा सकते हैं। इन दोनों पदों पर दो व्यक्ति रखे जायें। दो पदों पर एक ही व्यक्ति को रखना अनुचित है।

विमानों को नियमित रूप से चलाने के बारे में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को जो असफलता मिली है उसका कारण अपर्याप्त बेडा है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के हर विमान को 9 घंटे की सफाई चाहिये। इस स्थिति को सुधारने के दो उपाय हैं। या तो नए विमान खरीदे जाय और यदि नए विमान खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा की कमी हो तो इसको कुछ मार्ग कम कर देने चाहिये।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा हवाई अड्डों पर की जा रही घोषणाएं ठीक नही होती। वे स्पष्ट सुनाई नहीं देतीं कि घोषणा किस बारे में की जा रही है।

मैं यह तो नही कहता कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ऐसा इसलिये करती है क्यों कि यहां पर इसका एकाधिकार है। लेकिन इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को अपना रीकार्ड देखना चाहिये ना कि केवल हमारे सामने सन्तुलन-पत्र पेश करदें जिसमें लाभ दिखाया गया हो।

गत 18 वर्षों में परिवहन के मामले में काफी प्रगति हुई है लेकिन हम संसार के अन्य देशों की तरह इस समस्या के प्रति सजग नहीं हैं। हम यह कहते हैं कि रेलवे पर 1400 करोड रुपया लगा है इसलिये इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। लेकिन सड़कों पर भी तो धन लगा है। परिवहन के हर साधन के बारे में सरकार को और संसद को समान रूप से विचार करना चाहिए। इस बारे में नियोगी आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिये और सडक परिवहन के प्रति निमाता का सा व्यवहार करना समाप्त किया जाना चाहिये। भारत में सडक परिवहन की ओर अधिक ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। हर आधुनिक देश को, चाहे वह रूस हो, स्वीडन हो, ब्रिटेन हो या अमरीका हो, रेलवे की अपेक्षा सडकों की और अधिक ध्यान देना पडा है।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी के मामलों की जांच करने के लिये जो व्यक्ति सरकार ने मनोनीत किया है वह बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स का सदस्य रह चुका है। इस कम्पनी के जांच-कार्य में किसी ऐसे व्यक्ति को भी लगाया जाये जो नौवहन के मामले में विशेषज्ञ हो।

पर्यटन को बढावा देने का काम सरकारी क्षेत्र में किया जाय। सीमा-शुल्क के कर्मचारी हमारे देश में आने वाले हर विदेशी को चोर, डाकू और आवांछित व्यक्ति समझते हैं। रूस सरकार पर्यटन को बढाने के काम को प्राथमिकता दे रही है और अपने देश में आने वाले पर्यटकों को हर संभव सुविधाएं दे रही है। सीमा-शुल्क अधिकारी विदेशियों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसका उन पर बड़ा प्रभाव पडता है। उनको पर्यटक का स्वागत करना चाहिये न कि उसकी उपेक्षा करनी चाहिये।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : भारतीय वायु सेना के विमान चालकों को कमर्शियल विमान चालकों और नेविगेटरों की तुलना में कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं और ये हमारी स्वतंत्रता के महान रक्षक हैं। वे बहुत गंदे क्वार्टरों में रहते हैं जिसके लिये हमें शर्म आनी चाहिये जबकि हम अन्य व्यक्तियों के लिये बडी-बडी इमारतें बना रहे हैं।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में अनुशासनहीनता है। यहां पर विमान चालक हड़ताल कर देते हैं और व्योमबालाएं बिल्ले लगा लेती हैं। इस प्रकार देश कैसे चलेगा। हम चाहते हैं कि श्रमिकों को उचित मजूरी मिले। सरकारी क्षेत्र के निकाय अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे मानवीय सम्बन्ध स्थापित करें।

एयर इन्डिया ने बडा अच्छा रिकार्ड दिखाया है। इसके चेयरमैन श्री टाटा बडे योग्य और कुशल व्यक्ति हैं।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के चेयरमन को दो पद संभालने पड रहे हैं। वह मंत्रालय के सेक्रेटरी भी हैं। इस देश में बडे योग्य व्यक्ति भरे पडे हैं। इन पदों पर अलग अलग व्यक्ति रखे जाएं। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में बडे परिवर्तन हुए हैं। हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में कार्य बडे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। वहां पर झगडे समाप्त प्राय हो गये हैं। जब हमारे यहां अच्छे अच्छे विमान हैं और उनको चलाने के लिये योग्य व्यक्ति हैं तो फिर भारत जैसे बडे देश के प्रधान मंत्री विदेशों के विमान में क्यों यात्रा करते हैं।

कई विमान कम्पनियों ने नेवीगेटरों को हटा दिया है। नेवीगेटरों की आवश्यकता नहीं रही है। दूरी मापक उपकरण (डिस्टेंस मेज़रिंग इक्विपमेंट) तथा 'डापलर' उपकरण कार्य करने लगे है जिसके फलस्वरूप नेवीगेटरों के बिना काम चलाया जा सकता है।

जांच न्यायालय के लिये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति ठीक नहीं है। हमने देखा है कि हाल ही में बम्बई के एक मामले में न्यायाधीश पर आरोप लगाये गये हैं। इसलिये जांच का प्रभार उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को सौंपा जाए।

300 रुपये वेतन पाने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट और अन्य कर्मचारी डाक तथा तार विभाग के क्वार्टरों में सरकारी कर्मचारियों के साथ रह रहे हैं और उन्हें निकल जाने को कहा जाता है। उन्हें बेदखल नहीं किया जाना चाहिये। विशेषतः आसाम में उनको बहुत दूर चलकर हवाई अड्डे तक पहुंचना पडता है। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से बहुत लाभ कमाया गया है लेकिन इसके कर्मचारियों को आवास देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बिना आवास की व्यवस्था किये उनको कहीं दूरवर्ती स्थान पर न भेजा जाय। विमान चालकों को हर प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिये। आसाम से गुजरने वाले सभी चालकों की सुरक्षा की गारंटी की जानी चाहिये। आसाम से कलकत्ता तक उडान करने वाले चालकों को यह भय बना ही रहता है कि वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच भी पायेंगे या नहीं।

हमारे हवाई अड्डे अभी भी तीसरे दर्जे के हवाई अड्डे हैं। यहां पर ठेकेदार कुछ अफसरों के साथ मिलकर बडा लाभ कमाते हैं और हवाई अड्डे की देखभाल ठेकेदारों पर छोड दी जाती है। हमें बढिया हवाई अड्डे बनाने चाहियें और उन्हें अच्छा बनाना चाहिये।

मास्कों में 150 नागरिक परिवहन विमान हैं। हमारे यहां ये विमान बहुत थोडे हैं। हम विदेशों से विमान खरीदते हैं। स्वीडन, ने जहां की आबादी केवल 75 लाख है, एक विमान उद्योग बना लिया है, एक सैनिक विमान उद्योग बना लिया है। लेकिन यहां पर 45 करोड व्यक्ति है और यहां बडे कुशल इंजीनियर हैं, लेकिन यहांपर धन की कमी के कारण विमान उद्योग स्थापित नहीं हो सका है। यह उचित समय है जब कि हम अपने यहां स्कूलों, कालिजों और विश्वविद्यालयों में युवकों और युवतियों को प्रोत्साहित करने के लिये एक उद्योग स्थापित करें जिससे विमान बनाने वाले देशों में हमारा नम्बर अन्तिम ही न रह जाय। हमें कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विमान प्रदर्शन करना चाहिये ताकि हमारे युवक और युवतियां इससे प्रेरित होकर एक उद्योग स्थापित करें और हमारी प्रतिरक्षा सुदृढ हो।

उड्डयन क्लबों और ग्लाइडिंग क्लबों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। उड्डयन में अनुसंधान और विकास के बारे में कोई धन खर्च नहीं किया गया है और इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इस कार्य में हम बहुत पिछडे हुए हैं।

चालकों को मद्यपान करके विमान चलाने की अनुमति न दी जाय।

[श्री जोकीम अल्वा]

इंडियन एयरलाइन्स में दिया जाने वाला भोजन बडा घटिया किस्म का होता है।

हमारे देश में विमान भाडा बहुत अधिक है। हर रूसी नागरिक लगभग विमान से यात्रा करते है और उनको राजसहायता दी जाती है।

व्योमबालाओं को साडी बांधकर अपने देश की संस्कृति का चित्रण करना चाहिये। उन्हें साडी इस प्रकार नहीं पहननी चाहिये कि वे सिनेमा तारिका दिखाई दें।

घोषणा करने वाले उपकरण खराब हैं और इसलिये व्योमबालाएं ठीक से घोषणा नहीं कर पातीं। संकट के समय रेडिओ अनाउन्सर ही आपका जीवन-रक्षक है और यदि वह ही खराब हो तो सभी यात्रियों का जीवन खतरे में पड सकता है।

पाखाने अस्वच्छ और गंदे होते हैं। स्नानगृहों में क्लोजैटस की व्यवस्था करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

देश भर में अभी भी बहुत सी गैर-सरकारी एजेन्सियां काम कर रही हैं। उन एजेन्सियों के कार्य को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपने नियंत्रण में ले। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को एयर इण्डिया के समान स्तर पर आना चाहिये। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का प्रबन्ध अक्सर बदलता रहता है लेकिन मुझे आशा है कि नये प्रबन्धक स्थिति को ठीक कर सकेंगे।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : एयर इण्डिया की हड़ताल से हम सभी को बड़ा दुःख हुआ है। जहां तक इस हड़ताल का संबंध है, मैं समझता हूं कि समूचे प्रशासन में कुव्यवस्था है। इस बारे में जाच की जाय। केवल पंचाट की नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं है।

यह हडताल की बीमारी 6 वर्षों से चल रही है और इससे देश को बडी हानि हुई है। यहां व्योमबालाओं के बारे में जो घटनाएं हुई हैं तो उसका बाहरी संसार पर क्या प्रभाव पडेगा? बरास्ता मदुरै त्रिवेन्द्रम से मद्रास तक के मार्ग में कोई भोजन नहीं मिलता है क्यों कि भोजन की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय में जाकर पांच मिनिट वहां रुक कर तो देखें तो उनको पता चलेगा कि वहां के कर्मचारी आपकी कितनी परवाह करते हैं। वे बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। वे अपने मित्रों के साथ बातचीत करने में ही लगे रहते हैं। अच्छा हो यदि वहां पर वे लोग कुछ रेलवे बुकिंग क्लर्क रख लें। उनको कम वेतन देकर उनसे अधिक काम लिया जा सकता है। इस बारे में सुधार होना चाहिये। विमान चलाने वाले व्यक्ति कुशल और अच्छा व्यवहार करने वाले होने चाहियें। इनके हाथ में इनका और सब यात्रियों का जीवन रहता है।

यह अच्छा हो कि हडताल जल्दी ही समाप्त हो जाय। हडताल समाप्त करने से किसी को भी हानि नही होगी। मैं उनकी इस मांग से सहमत हूं कि सार्वजनिक रूप से जांच करायी जाय और प्रशासन में सुधार किया जाय और इस उद्योग में यह संकट उपस्थित करने के लिये व्यक्तियों पर जिम्मेदारी सौंपी जाय।

समझ में नहीं आता कि सरकारने जयन्ती शिपिंग कम्पनी को इतना अधिक ऋण कैसे दे दिया है। सरकार इस स्थिति को कब तक सहन करती रहेगी। सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिये एक ऐसे व्यक्ति को मानोनीत किया है जो इसमें प्रबन्ध निदेशक रह चुका है। क्या सरकार ने इस बारे में किसी वकील से परामर्श किया है। क्या सरकार ने इस नियुक्ति के परिणामों के बारे में विचार कर लिया है। वह अपने ही द्वारा हस्ताक्षर किये गये सन्तुलन-पत्र की किस प्रकार जांच करेंगे। सरकार को उनके निर्णय के बारे में परवाह नहीं करनी चाहिये, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। सरकार इस कम्पनी के बारे में जांच करने के लिये कुछ विशेषज्ञों को क्यों नियुक्त नहीं करती। हवाईजहाज खरीदने की समस्या एक बडी भारी समस्या है। इस कम्पनी

के बारे में कोई राजनीतिक दबाव नही पडना चाहिये। समझ में नहीं आता की प्रधान मंत्री के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति जो पहले मुश्किल से 200 रुपये पाता था अब लगभग 1800 रुपये वेतन पाता है और उसने एक मकान भी बना लिया है। यह उचित समय है जबकि सरकार समूचे प्रशासन की ओर ध्यान दें। उनको यह देखना चाहिये कि सरकारी निगम और समवाय केवल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिये ही न हों बल्कि समूचे देश के लाभ के लिये हों।

यदि सरकार यह समझती है कि समूचे सडक परिवहन का राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं है तो वह कम से कम मोटरगाडी अधिनियम में ऐसे नियम बनाये कि जो भी यह काम चलायें वे नियमानुसार ऐसा करें। लोग सडक परिवहन के जरिये हजारों और लाखों रुपये का माल भेजते हैं; कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनके अपने ट्रक नही होते हैं और वे किराया-खरीद की प्रणाली से ट्रक चलाते हैं तो ऐसी हालत में यदि कोई हानि हो जाती है तो उसे पूरा करने के लिये उनके पास कुछ भी नही होता। इससे जनता को ही नुकसान होता है और उनको कोई भुगतान नहीं होता। सरकार को इन सडक परिवहन सेवा के संचालकों पर वही सिद्धान्त लागू करना चाहिये जो उन्होंने उस समय लागू किया था जब रेलवे विभिन्न कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही थी। सडक परिवहन द्वारा भेजे जा रहे सामान का अनिवार्य बीमा होना चाहिये ताकि यदि सामान खो जाय तो जनता को नुकसान न उठाना पडें। मोटरगाडी अधिनियम को विभिन्न विभागों द्वारा लागू न किया जाकर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्र में परिवहन मंत्रालय द्वारा अपने अभिकरण द्वारा लागू किया जाय ताकि सभी संचालक एक विशेष ढंग से और नियमानुसार कार्य कर सकें। व्यवस्था बनायी हुई है लेकिन उसका ठीक से पालन नहीं होता .....

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 5 अप्रैल, 1966/15 चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बज म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, April 5, 1966/ *Chaitra* 15, 1888 (*Saka*).

भा० स० मु०—वि० 2—49 लोक सभा।66—12-8-67—600